प्रथम अध्याय

राज्य शासन का वित्त

छत्तीसगढ़ का पार्श्व दृश्य

भारत के मध्य भाग में स्थित छत्तीसगढ़ राज्य भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टिकोण से 10वां सबसे बड़ा राज्य (1,35,191 वर्ग कि.मी.)[1] है और जनसंख्या के दृष्टिकोण से 16वां सबसे बड़ा राज्य (2.55 करोड़) है। राज्य की जनसंख्या 2001 में 2.08 करोड़ थी जो 22.59 प्रतिशत की दशकीय वृद्धि दर से वर्ष 2011 में 2.55 करोड़ (अस्थायी आंकड़े) हो गई जैसा कि **परिशिष्ट 1.1 (अ)** में दर्शाया गया है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की जनसंख्या 39.93[2] प्रतिशत थी जो अखिल भारत के औसत 21.92 प्रतिशत से अधिक है। वर्ष 2013-14 में राज्य के वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 1,85,060 करोड़ था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की साक्षरता दर 71.04 प्रतिशत (81.45 प्रतिशत पुरूष एवं 60.59 प्रतिशत महिला) थी, जो अखिल भारत के औसत 74.04 प्रतिशत (82.14 प्रतिशत पुरूष एवं 65.46 प्रतिशत महिला) से कम थी। राज्य से सम्बन्धित सामान्य आंकड़े **परिशिष्ट 1.1 (अ)** में दर्शाये गये हैं। वर्ष 2013-14 के दौरान वर्तमान मूल्यों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय ₹ 58,297 थी।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)

सकल राज्य घरेलू उत्पाद एक निश्चित अवधि में राज्य के अन्दर आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त समस्त उत्पादित अंतिम उत्पाद और सेवाओं का बाजार मूल्य है। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण सूचक है, जो राज्य की आबादी के रहन-सहन के स्तर को दर्शाता है। वर्तमान मूल्यों पर भारत के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्ति नीचे दर्शायी गई है।

वर्तमान मूल्यों पर कारक लागत पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
भारत का सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	61,08,903	72,48,860	83,91,691	93,88,876	104,72,807
सकल घरेलू उत्पाद का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	15.18	18.66	15.77	11.88	11.54
राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	99,364	1,19,420	1,44,382[P]	1,63,461[Q]	1,85,060[A]
सकल राज्य घरेलू उत्पाद का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	2.47	20.18	20.90	13.21	13.21

(स्रोतः 1 अगस्त 2014 की स्थिति में सांख्यिकि एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट) ए - (एडवांस), क्यू (क्विक), पी (प्रोविजनल)

वर्ष 2013-14 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में, 13 वें वित्त आयोग द्वारा इस वर्ष के लिए 12.50 प्रतिशत घोषित लक्ष्य के विरूद्ध 13.21 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई। वर्ष 2010-11 से 2013-14 के दौरान छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू

[1] छत्तीसगढ़ शासन आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा प्रदत्त आंकड़े।

[2] योजना आयोग के जुलाई 2013 के बी पी एल 2011-12 के प्रेस नोट के अनुसार, तेंदुलकर विधि द्वारा गरीबी रेखा के नीचे।

उत्पाद की वृद्धि दर भारत के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से अधिक थी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के स्रोत में तृतीयक क्षेत्र का निरन्तर रूप से वर्चस्व रहा और यह वर्ष 2013-14 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 40.47 प्रतिशत रहा। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के शेष 59.53 प्रतिशत में, 29.61 प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र एवं 29.92 प्रतिशत द्वितीय क्षेत्र का योगदान था। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद से संबंधित क्षेत्रवार आंकड़े **परिशिष्ट 1.2** में दर्शाया गया है।

1.1 प्रस्तावना

यह अध्याय वर्ष 2013-14 के दौरान छत्तीसगढ़ शासन के वित्त का व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करता है। यह पूर्व वर्षों के समग्र प्रवृत्तियों को ध्यान मे रखते हुए प्रमुख राजकोषीय संचयों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों को विश्लेषित करता है। शासन के लेखे की संरचना एवं रूपरेखा **परिशिष्ट 1.1 (ब)** में दर्शायी गई है और वित्तीय लेखे की रूपरेखा **परिशिष्ट 1.1 भाग (स)** में दर्शायी गई है। यह विश्लेषण शासन से प्राप्त जानकारी एवं राज्य के वित्त लेखे के आधार पर किया गया है।

शासन के राजकोषीय स्थिति के आंकलन के लिए अपनायी गई पद्धति का वर्णन **परिशिष्ट 1.2** में दिया गया है। राज्य शासन के वित्त के विगत पांच वर्षो के कालबद्ध आंकड़ो का वर्णन **परिशिष्ट 1.3** में दिया गया है।

1.1.1 वर्ष 2013-14 में राजकोषीय लेन देन का सारांश

तालिका 1.1, पिछले वर्ष (2012-13) के सापेक्ष चालू वर्ष (2013-14) के दौरान राज्य शासन के राजकोषीय लेन-देन के सारांश को दर्शाता है, जबकि **परिशिष्ट 1.4 (अ एवं ब)** चालू वर्ष के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति के साथ साथ प्राप्ति एवं संवितरण का विवरण प्रस्तुत करता है।

तालिका 1.1 2013-14 में राजकोषीय प्रचालन का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां			संवितरण				
अनुभाग अः राजस्व	2012-13	2013-14	अनुभाग अः राजस्व	2012-13	2013-14		
					आयोजनेत्तर	आयोजना	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
राजस्व प्राप्तियां	**29,578.09**	**32,050.26**	**राजस्व व्यय**	**26,971.84**	**19,109.80**	**13,749.77**	**32,859.57**
कर राजस्व	13,034.21	14,342.71	सामान्य सेवाएं	6,649.31	7,773.26	77.89	7,851.15
कर भिन्न राजस्व	4,615.95	5,101.17	सामाजिक सेवाएं	11,456.42	4,553.35	9,728.75	14,282.10
संघीय करों/ शुल्कों का हिस्सा	7,217.60	7,880.22	आर्थिक सेवाएं	8,011.66	5,812.80	3,943.13	9,755.93
भारत सरकार से अनुदान	4,710.33	4,726.16	सहायता अनुदान/अंशदान	854.45	970.39	0.00	970.39
अनुभाग बः पूँजीगत							
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	**2.39**	**7.64**	**पूँजीगत व्यय**	**4,919.33**	-0.74	4574.93	**4,574.19**
ऋणों तथा अग्रिमों की वसूलियाँ	**1,542.01**	**1,637.27**	**संवितरित ऋण तथा अग्रिम**	**1,888.79**	9.58	1,308.95	**1,318.53**

1	2	3	4	5	6	7	8
अंतर्राज्यीय समायोजन	1.53	5.14	अंतर्राज्यीय समायोजन	(-) 0.80			5.30
लोक ऋण प्राप्तियाँ	2,057.73	3,931.89	लोक ऋण अदायगी	1,039.29			689.65
आकस्मिकता निधि	0.00	0.00	आकस्मिकता निधि	0.00			0.00
लोक लेखा प्राप्तियाँ	39,579.40	45,867.54	लोक लेखा संवितरण	38,526.62			43,434.15
प्रारंभिक रोकड़ शेष	2,700.86	2,116.94	अंतिम रोकड़ शेष	2,116.94			2,735.29
योग	75,462.01	85,616.68	योग	75,462.01			85,616.68

(स्त्रोतःराज्य शासन के वर्ष 2013-14 के वित्त लेखें)

वर्ष 2013-14 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नानुसार है :

- राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष से ₹ 2,472 करोड़ (आठ प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वृद्धि का प्रमुख कारण विगत वर्ष की तुलना में स्वंय के कर राजस्व (ओटीआर) में ₹ 1,309 करोड़ (10 प्रतिशत), करेत्तर राजस्व (एनटीआर) में ₹ 485 करोड़ (11 प्रतिशत) एवं संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा में ₹ 663 करोड़ (9 प्रतिशत) वृद्धि था। यद्यपि पिछले वर्ष के तुलना में भारत सरकार से सहायता अनुदान में ₹ 16 करोड़ (0.34 प्रतिशत) की मामूली वृद्धि हुई।

- 13वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित स्वंय के कर राजस्व (₹ 12,735.43 करोड़) और करेत्तर राजस्व (₹ 2,811.44 करोड़) के नियामक आंकलन के विरूद्ध राज्य के स्वंय के कर और करेत्तर राजस्व की वास्तविक प्राप्ति क्रमशः ₹ 14,342.71 करोड़ (112.62 प्रतिशत) और ₹ 5,101.17 करोड़ (181.44 प्रतिशत) थी। इस प्रकार ओटीआर और एनटीआर का वास्तविक संग्रहण 13वें वित्त आयोग द्वारा बनाए गए मानक आंकलन से अधिक था।

- विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान सामान्य सेवाओं पर व्यय में ₹ 1,202 करोड़ (18 प्रतिशत), सामाजिक सेवाओं पर व्यय में ₹ 2,826 करोड़ (25 प्रतिशत) और आर्थिक सेवाओं पर व्यय में ₹ 1,744 करोड़ (22 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण राजस्व व्यय में ₹ 5,888 करोड़ (22 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

- पिछले वर्ष की तुलना में पूंजीगत परिव्यय में ₹ 345 करोड़ (सात प्रतिशत) की कमी मुख्यतः निम्न शीर्षो के अंतर्गत पूंजीगत व्यय में कमी के कारण हुई नागर विमानन, आवास, सूचना एवं प्रसारण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विद्युत परियोजनाएं, पर्यटन, शहरी विकास, ग्राम एवं लघु उद्योग, जलापूर्ति एवं स्वच्छता तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण ।

- यद्यपि वर्ष के दौरान ऋण एवं अग्रिमों की वसूली में ₹ 95 करोड़ (छः प्रतिशत) की वृद्धि हुई तथापि ऋण एवं अग्रिमों के संवितरण में ₹ 570 करोड़ (30 प्रतिशत) की कमी हुई।

- इस वर्ष के दौरान लोक ऋण प्राप्तियों (₹ 3,931.89 करोड़) में ₹ 1,874 करोड़ की वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण वर्ष 2013-14 में ₹ 3,000 करोड़ का बाजार ऋण था। पिछले वर्ष ₹ 1,039.29 करोड़ की ऋण अदायगी की तुलना में इस वर्ष लोक ऋण की अदायगी (₹ 689 करोड़) में ₹ 350 करोड़ की कमी हुई।
- पिछले वर्ष की तुलना में लोक लेखा प्राप्तियां एवं संवितरण में क्रमशः ₹ 6,288 करोड़ एवं ₹ 4,908 करोड़ की वृद्धि हुई। इस प्रकार, शुद्ध लोक लेखा प्राप्तियों में ₹ 1,380 करोड़ की वृद्धि हुई।
- उपरोक्त लेन-देन के निबल प्रभाव के कारण विगत वर्ष की अपेक्षा 2013-14 के अन्त तक रोकड़ शेष में ₹ 618 करोड़ की वृद्धि हुई।

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुपालन में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2005 संशोधित सितम्बर 2011, राजस्व घाटे के क्रमिक उन्मूलन, राजकोषीय घाटे में कमी, दक्षपूर्ण ऋण प्रबंधन के साथ राजकोषीय स्थिरता तथा शासन के राजकोषीय प्रचालनों में अधिक पारदर्शिता एवं मध्यावधिक राजकोषीय ढांचे में राजकोषीय नीति के संचालन के माध्यम से राजकोषीय प्रबंधन तथा राजकोषीय स्थिरता में दक्षता सुनिश्चित करने हेतु पारित किया गया।

तेरहवें वित्त आयोग ने एक राजकोषीय सुदृढ़ीकरण मानचित्र निर्धारित किया है। जिसके अनुसार वर्ष 2007-08 में जिन राज्यों का राजस्व घाटा शून्य था अथवा उन्होंने राजस्व आधिक्य प्राप्त कर लिया था, उनके लिये यह आवश्यक था कि वे वर्ष 2011-12 तक राजस्व घाटे को समाप्त करें तथा तत्पश्चात् राजस्व शेष को बनाये रखें अथवा आधिक्य प्राप्त करें। साथ ही सामान्य श्रेणी के राज्य जिन्होंने 2007-08 में शून्य राजस्व घाटा अथवा राजस्व आधिक्य को प्राप्त कर लिया था, उन राज्यों को वर्ष 2011-12 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत राजकोषीय घाटा प्राप्त करना है एवं इसके पश्चात् इसे बनाए रखना है। राज्यों के लिए यह भी आवश्यक था कि वे अपने एफआरबीएम अधिनियम का संशोधन राजकोषीय सुधार क्रम के अनुरूप करें। वर्ष 2007-08 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य का ₹ 3,039 करोड़ का राजस्व आधिक्य था।

राज्य शासन ने सितम्बर 2011 में, छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2011 पारित किया। इस अधिनियम के अनुसार राज्य शासनः

- वित्तीय वर्ष 2011-12 के प्रारम्भ से 2014-15 तक प्रत्येक वर्ष, शून्य राजस्व घाटा रखेगा,
- वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक प्रत्येक वर्ष वास्तविक राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का तीन प्रतिशत तक बनाये रखेगा,
- कुल बकाया ऋण को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में बनाये रखेगा तथा;
- वर्ष 2011-12 से प्रारम्भ किसी वित्तीय वर्ष के लिए अतिरिक्त कुल दायित्व जीएसडीपी के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

13वें वित्त आयोग की अनुशंसा और राज्य के एफआरबीएम अधिनियम द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर बजट में निर्धारित प्रमुख राजकोषीय संकेतक **तालिका 1.2** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.2 2013-14 के लिए मुख्य राजकोषीय पूर्वानुमान

(₹ करोड़ में)

राजकोषीय पुर्वानुमान	2013-14				
	13वें वित्त आयोग के लक्ष्य	एफआरबीएम अधिनियम में प्रस्तावित लक्ष्य	बजट के अनुसार लक्ष्य	एमटीएफपीएस में प्रावधान	वास्तविक
राजस्व घाटा (-) आधिक्य (+)	0.00	0.00	(+) 2,428.67	(+) 2,428.67	(-) 809.31
राजकोषीय घाटा (-)/आधिक्य (+)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत राजकोषीय घाटा बनाये रखना	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत राजकोषीय घाटा बनाये रखना	(-) 5,145.28	(-) 5,145.28	(-) 5,057.28 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.73 प्रतिशत)
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में बकाया कर्ज	23.50	23.50	बजट में उल्लेखित नहीं	14.16	13.46

(स्त्रोतः एफआरबीएम अधिनियम दस्तावेज, तेरहवाँ वित्त आयोग प्रतिवेदन, बजट और राज्य वित्त लेखें 2013-14)

जैसा कि **तालिका 1.2** से स्पष्ट है कि वर्ष 2013-14 के दौरान तेरहवें वित्त आयोग एवं एफआरबीएम द्वारा निर्धारित शून्य राजस्व घाटे के लक्ष्य के विरूद्ध राज्य के पास ₹ 809.31 करोड़ का राजस्व घाटा था। वर्ष 2013-14 के दौरान बजट अनुमान एवं मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण (एमटीएफपीएस) में ₹ 2,428.67 करोड़ के आधिक्य का प्रावधान था।

वर्ष 2013-14 के दौरान राजस्व व्यय में ₹ 5,888 करोड़ (22 प्रतिशत) की वृद्धि, राजस्व प्राप्तियों में ₹ 2,472 करोड़ (आठ प्रतिशत) की वृद्धि से अधिक थी जिससे राजस्व घाटा की स्थिति उत्पन्न हुई।

वर्ष 2012-13 के ₹ 2,606 करोड़ के राजस्व आधिक्य की स्थिति से वर्ष 2013-14 में ₹ 809 करोड़ के राजस्व घाटे की स्थिति में परिवर्तन राजकोषीय घाटा वर्ष 2013-14 में (₹ 5,057 करोड़) वर्ष 2012-13 के ₹ 2,655 करोड़ में ₹ 2,402 करोड़ की वृद्धि के कारण थी।

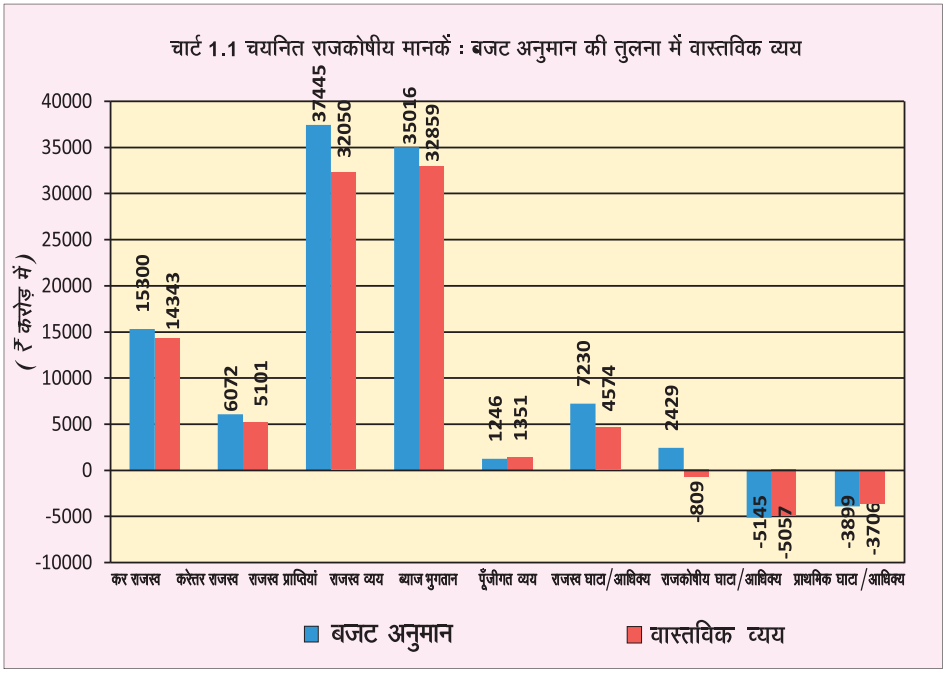
कुल बकाया ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 13.46 प्रतिशत था जो कि 13वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य (23.50 प्रतिशत) एवं एफआरबीएम प्रकटीकरण के लक्ष्य (14.16 प्रतिशत) के अन्दर ही था।

1.1.3 बजट अनुमान एवं वास्तविकताएँ

राज्य शासन द्वारा प्रस्तुत बजट अभिलेख, एक विशिष्ट राजकोषीय वर्ष हेतु राजस्व एवं व्यय के प्रायोजनों एवं अनुमानों का विवरण प्रस्तुत करता है। समग्र आर्थिक प्रबंधन हेतु राजकोषीय नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के परिपेक्ष्य में, राजस्व एवं व्यय के आंकलन में शुद्धता की महत्ता को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। बजट अनुमानों से विचलन

वांछित राजाकोषीय उद्देश्यों की विभिन्न कारणों से जिनमें से कुछ शासन के नियंत्रण में है तथा कुछ नियंत्रण के बाहर है, की अप्राप्ति तथा अनुप्रयोग को इंगित करता है।

वर्ष 2013-14 के लिए बजट अनुमान के सापेक्ष वास्तविक प्राप्ति का विवरण **परिशिष्ट 1.5** में दर्शाया गया है। **चार्ट 1.1** कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय मापदण्डों हेतु बजट अनुमान एवं वास्तविक प्राप्ति का तुलनात्मक विवेचना प्रस्तुत करता है।



(स्त्रोतः राज्य शासन के वित्त लेखे 2013-14 एवं बजट अनुमान 2013-14)

ऊपर दिया गया चार्ट यह दर्शाता है कि वर्ष 2013-14 के दौरान ब्याज भुगतान को छोड़कर वास्तविक प्राप्तियां एवं व्यय राज्य शासन द्वारा बनाए गए बजट अनुमान से कम था।

वास्तविक राजस्व प्राप्तियों में ₹ 5,395 करोड़ (14 प्रतिशत) की कमी का कारण मुख्यतः, बजट अनुमान से स्वंय के कर एवं करेत्तर राजस्व में ₹ 1,928 करोड़ (नौ प्रतिशत) एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में ₹ 2,753 करोड़ (37 प्रतिशत) की कम प्राप्तियां थी।

राजस्व व्यय में ₹ 2,157 करोड़ की कमी का कारण बजट अनुमान के विपरित सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत ₹ 1,524 करोड़ (10 प्रतिशत) एवं आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत ₹ 980 करोड़ (9 प्रतिशत) की कमी थी।

शासन का पूंजीगत व्यय बजट अनुमान से ₹ 2,656 करोड़ कम था जिसका कारण सामान्य सेवाओं में ₹ 835 करोड़ एवं आर्थिक सेवाओं में ₹ 1,780 करोड़ का कम व्यय था जो कि राज्य के लिए चिंता का विषय है।

1.1.4 जेण्डर बजट

राज्य का जेण्डर बजट सम्पूर्ण बजट के अन्तर्गत उन प्रस्तावित योजनाओं पर व्यय को दर्शाता है, जो महिलाओं को आंशिक या पूर्ण रूप से लाभान्वित करने के लिए बनाया गया है। जेण्डर बजट का पृथक भाग बजट (2013-14) के साथ् प्रस्तुत किया गया था जिसमें विभित्र योजनाओं में महिलाओं एवं बालिकाओं से संबंधित बजट प्रावधान का वर्णन किया गया था। जेण्डर बजट अभिलेख के अनुसार, जेण्डर बजट से संबंधित योजनाओं को दो वर्गो में विभक्त किया गया था (1) वे योजनाएं जिसमें 100 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित था (2) वे योजनाएं जिनमें कम से कम 30 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित था।

वर्ष 2013-14 के दौरान महिलाओं के लाभार्थ 16 विभागों[3] में (वर्ग एक से 32 योजनाएं एवं वर्ग दो से 107 योजनाएं) बजट प्रावधान किया गया था ।

जेण्डर बजट दस्तावेज के अनुसार, बजट अनुमानों का विवरण, कुछ योजनाओं के संबंध में विनियोग लेखे के अनुसार निधि का प्रावधान तथा वास्तविक व्यय का विवरण **परिशिष्ट 1.6** में दिया गया है।

- वर्ष 2013-14 के जेण्डर बजट के अनुसार 24 योजनाओं हेतु जैसा कि **परिशिष्ट 1.6** में वर्णित है ₹ 667.99 करोड़ का अनुमानित प्रावधान किया गया था जिसके विरूद्ध ₹ 804.94 करोड़ वास्तविक रूप से जारी किया गया तथा ₹ 879.75 करोड़ का व्यय किया गया।
- 2013-14 के दौरान ''कन्याओं के बुनियादी स्तर पर शिक्षण के राष्ट्रीय कार्यक्रम'' को राज्य में लागू न किये जाने से जैसा कि जेण्डर बजट में परिकल्पित किया गया था कुल प्रावधानित राशि ₹ 5.80 करोड़ व्यय नहीं किये गये थे।

1.2 राज्य के संसाधन

1.2.1 वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन

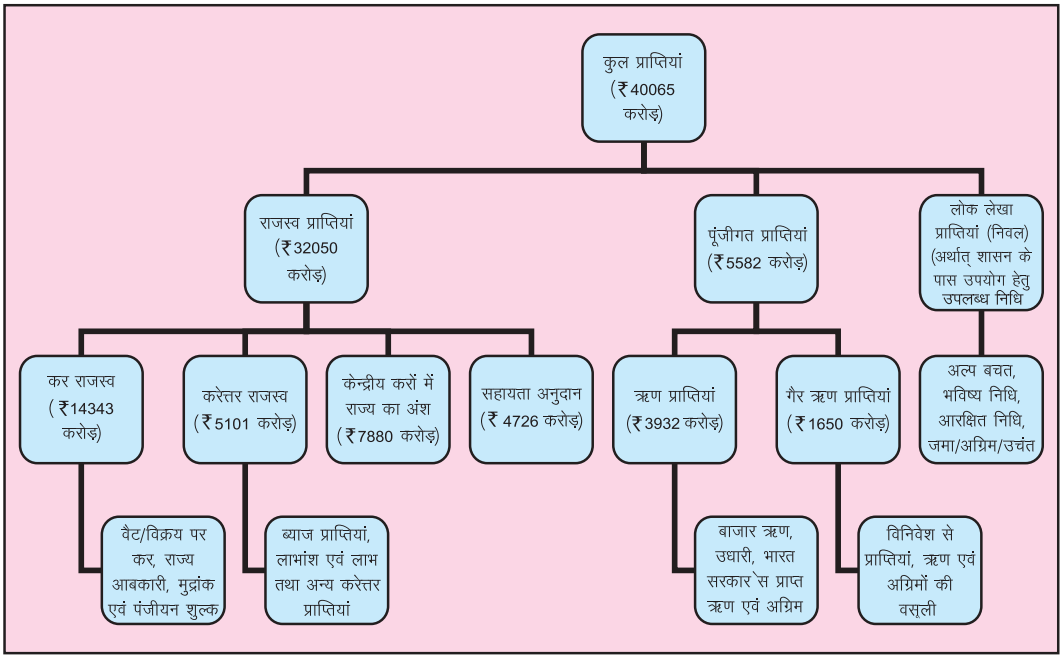
राज्य के संसाधन, राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों के दो स्त्रोत से निर्मित हैं। राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत कर राजस्व, करेत्तर राजस्व संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान शामिल है। पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां जैसे विनिवेश से प्राप्तियां, ऋण एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्त्रोत से ऋण प्राप्ति (बाजार से ऋण एवं वित्तीय संस्थानों/ वाणिज्यिक बैंकों से उधार) भारत सरकार से अग्रिम एवं ऋण सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त लोक लेखा में संवितरण के पश्चात् उपलब्ध धनराशि का उपयोग भी शासन अपने घाटे के वित्तीय पूर्ति

[3] कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, खाद्य एवं नागरीक आपूर्ति विभाग, वन विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, श्रम विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, पंचायत एवं ग्रामिण विकास विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, तकनिकी शिक्षा एवं जन नियोजन विभाग, अनुसूचित जनजाति विकास विभाग, ग्रामोद्योग विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग।

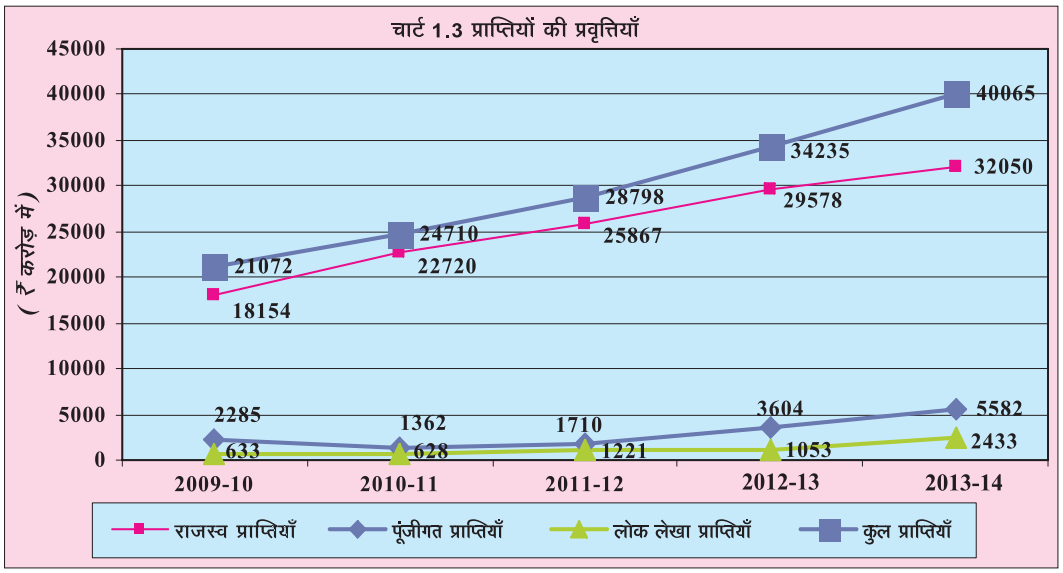
के लिये करता है। **तालिका 1.1** (पृष्ठ क्रमांक 2) वर्ष 2013-14 में राज्य की प्राप्तियां एवं संवितरणों, जैसा कि उसके वार्षिक वित्तीय लेखे में अंकित है, को **चार्ट 1.1** में प्रस्तुत किया गया है। **चार्ट 1.2** में वर्ष 2013-14 में राज्य के संसधानों के घटक एवं उन घटकों को प्रदर्शित करने वाला फ्लोचार्ट प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान राज्य के प्राप्तियों के विभित्र घटकों की प्रवृत्ति का चित्रण **चार्ट 1.3** में किया गया है।

चार्ट 1.2 राज्य के संसाधनों के घटकों एवं उपघटकों का फ्लोचार्ट

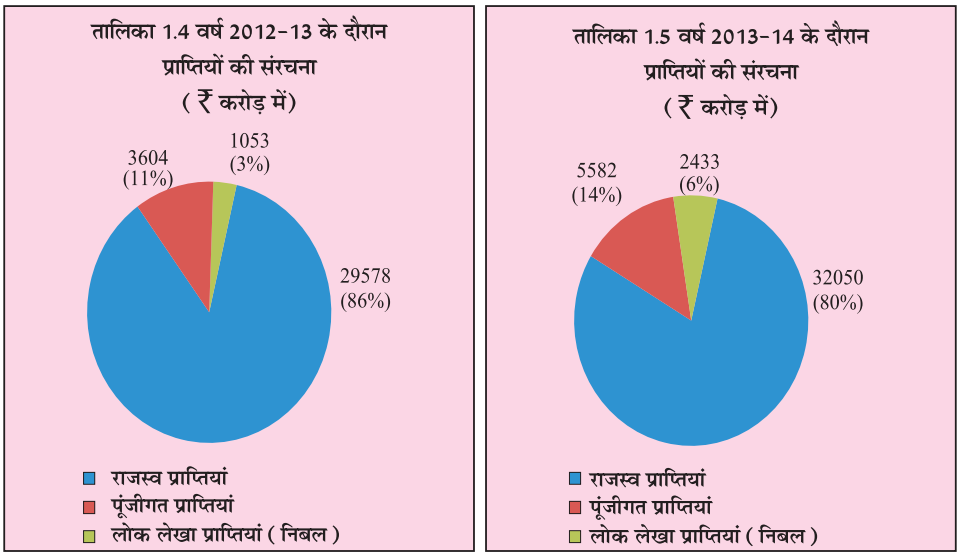
(₹ करोड़ में)



(स्रोतः वित्त लेखें 2013-14)



(स्त्रोत : संबंधित वर्षो के वित्त लेखे)



(स्रोतः वित्त लेखे 2012-13 और 2013-14)

चार्ट 1.2 से **चार्ट 1.5** में यह देखा जा सकता है किः-

- राज्य की कुल प्राप्तियां वर्ष 2009-10 में ₹ 21,072 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 40,065 करोड़ हो गया जो राजस्व प्राप्तियों में ₹ 13,896 करोड़, पूंजीगत प्राप्तियां में ₹ 3,297 करोड़ एवं शुद्ध लोक लेखे प्राप्तियां में ₹ 1,800 करोड़ की वृद्धि के कारण था।
- वर्ष 2009-14 के दौरान कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों की हिस्सेदारी 89 प्रतिशत से 94 प्रतिशत के बीच अस्थिर रहा। शुद्ध लोक लेखा प्राप्तियों एवं पूंजीगत प्राप्तियों में तुलनात्मक उच्चत्तर वृद्धि के कारण यह वर्ष 2011-12 में 94 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2012-13 में 89 प्रतिशत एवं 2013-14 में 85 प्रतिशत हो गई।
- पिछले वर्ष की तुलना में आन्तरिक ऋण में वृद्धि के कारण वर्ष 2013-14 में ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में 91 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- शुद्ध लोक लेखा प्राप्तियां वर्ष 2012-13 में ₹ 1,053 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 2,433 करोड़ हो गई।

1.2.2 राज्य बजट से अलग राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को राशि का हस्तांतरण

भारत सरकार द्वारा निधियों का एक बड़ा हिस्सा विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र की योजनाओं एवं कार्यक्रमों जिन्हें अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है के क्रियान्वयन हेतु सीधे राज्य क्रियान्वयन एजेंसीयों[4] को हस्तांतरित कर दिया जाता है। वर्तमान प्रक्रिया में इन निधियों का संचरण राज्य बजट/राज्य कोषागार प्रणाली के माध्यम से नहीं होता है। इसलिए निधियों के व्यय राज्य के वित्त लेखे में नहीं दर्शाया जाता है। अतएव, वार्षिक

[4] राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों में गैर सरकारी संगठन को मिलाकर एसे संगठन/संस्थान सम्मिलित है जो कि राज्य में विशिष्ट कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार से निधि प्राप्त करने हेतु राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत होते है।

वित्त लेखा राज्य के संसाधनों का संपूर्ण चित्रण प्रस्तुत नहीं करता है। संपूर्ण संसाधन की उपलब्धता का समग्र रूप से चित्रण करने हेतु राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित की गई निधि को **तालिका 1.3** में दर्शाया गया है।

वर्ष 2012-13 में राशि ₹ 4,497.58 करोड़ की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 4,046.30 करोड़ की केन्द्रीय निधि, राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित की गई, जिससे कि पिछले वर्ष की तुलना में निधियों के सीधे हस्तांतरण में ₹ 451.28 करोड़ (10 प्रतिशत की) कमी हुई। वर्ष 2013-14 के दौरान कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के संबंध में भारत सरकार के द्वारा प्रमुख राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को निधियों के सीधे हस्तांतरण की स्थिति **तालिका 1.3** में प्रदर्शित की गई है।

तालिका 1.3 राज्य के प्रमुख क्रियान्वयन एजेंसीयों को सीधे हस्तांतरित निधि

(₹ करोड़ में)

कार्यक्रम का नाम	राज्य में क्रियान्वयन एजेंसी का नाम	भारत सरकार द्वारा विमुक्त की गई निधियाँ			
		2011-12	2012-13	2013-14	विगत वर्ष के तुलना में वृद्धि/कमी (-)
महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	1,638.56	2,031.36	1,446.02	(-) 585.34 (-29)
सर्व शिक्षा अभियान	मिशन संचालक, राजीव गाँधी शिक्षा मिशन	698.70	850.16	767.00	(-) 83.16 (-10)
ग्रामीण आवास-इंदिरा आवास योजना	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	258.32	167.94	503.27	335.33 (200)
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम तथा जे. आई.आई. टी) केन्द्रीय प्रायोजित	मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	362.72	217.82	264.82	47.00 (22)
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए)	मिशन संचालक, राजीव गाँधी शिक्षा मिशन	344.70	308.97	186.93	(-) 122.04 (-40)
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	139.06	168.23	119.81	(-) 48.42 (-29)
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	राज्य कृषि प्रबंधन विस्तार प्रशिक्षण (एस.ए.एम.ई.टी.आई)	56.25	52.67	79.46	26.79 (51)
एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	91.00	9.73	30.05	20.32 (209)
आजीविका- स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एस.जी.एस.वाई/एन.आर.एल.एम	जिला ग्रामीण विकास प्राधीकरण	66.18	92.99	37.66	(-) 55.34 (- 60)

(स्त्रोतः वित्त लेखे 2013-14 के परिशिष्ट सात)
(कोष्टक में दिये गये आंकड़े प्रतिशत में बदलाव को दर्शाते है)

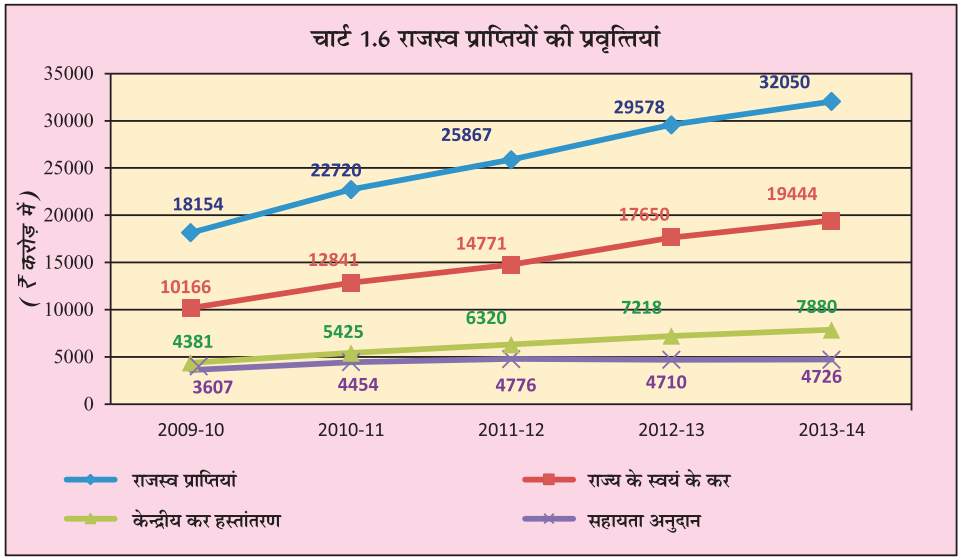
क्रियान्वयन एजेंसियों के पास व्यय न की गई शेष राशि, जो कि शासकीय लेखे से बाहर रही एवं योजनाओं के दोहराव की स्थिति सुनिश्चित करने योग्य नहीं थी।

राज्य क्रियान्वयन एजेंसी को भारत सरकार से निधियों के सीधे हस्तांतरण से इन एजेंसीयों द्वारा उन निधियों का अनुचित उपयोग का जोखिम बना रहता है। जब तक इन सभी एजेंसीयों के द्वारा अभिलेखों का उचित संधारण एवं व्यय का प्रतिवेदन समय पर राज्य शासन तथा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रेषित करने के साथ समान

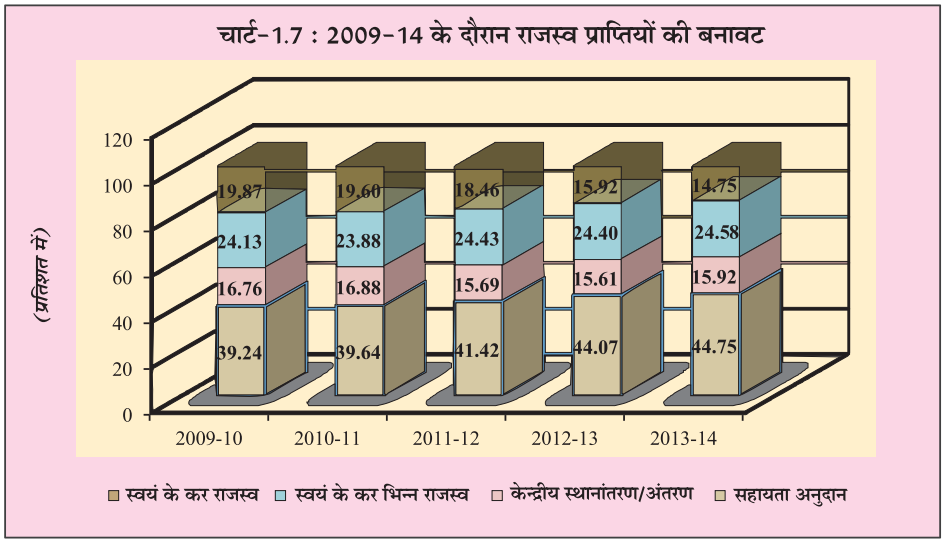
लेखांकन पद्धति का अनुपालन नहीं किया जाता तब तक इन प्रत्यक्ष हस्तांतरणों के अंतिम उपयोग की निगरानी कठिन होगी।

1.3 राजस्व प्राप्तियां

वित्त लेखे का विवरण क्रमांक 11, शासन के राजस्व प्राप्तियों का विवरण प्रस्तुत करता है। राजस्व प्राप्तियों में राज्य का स्वंय के कर एवं करेत्तर राजस्व, केन्द्रीय करों का हस्तांतरण एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान शामिल है। वर्ष 2009-14 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की संरचना एवं प्रवृत्ति क्रमशः **परिशिष्ट 1.3** और **चार्ट 1.6** एवं **1.7** में दर्शाया गया है।



(स्त्रोतः संबंधित वर्षो के वित्त लेखे)



(स्त्रोतः संबंधित वर्षो के वित्त लेखे)

चार्ट से यह स्पष्ट है कि:

- राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2009-10 में ₹ 18,154 करोड़ से 2013-14 में ₹ 32,050 करोड़ की प्रगामी वृद्धि देखी गई तथा विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2013-14 में आठ प्रतिशत (₹ 2,472 करोड़) की वृद्धि हुई।
- जबकि 2013-14 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 61 प्रतिशत राज्य के स्वयं के संसाधन जिसमें कर एवं करेत्तर राजस्व शामिल है, से प्राप्त हुआ। शेष 39 प्रतिशत में केन्द्रीय कर हस्तांतरण एवं सहायता अनुदान का सम्मिलित योगदान रहा।
- वर्ष 2013-14 के दौरान कर राजस्व में 10 प्रतिशत (₹ 1,309 करोड़), करेत्तर राजस्व में 11 प्रतिशत (₹ 485 करोड़), भारत सरकार से संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के अंश में नौ प्रतिशत (₹ 662 करोड़) एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में 0.34 प्रतिशत (₹ 16 करोड़) की वृद्धि के कारण पिछले वर्ष की तुलना में 2013-14 के दौरान राजस्व प्राप्तियां में कुल आठ प्रतिशत (₹ 2,472 करोड़) की वृद्धि हुई।

जीएसडीपी के सापेक्ष में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति **तालिका 1.4** में प्रदर्शित की गई है।

तालिका 1.4 जीएसडीपी के सापेक्ष में राजस्व प्राप्तियां की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
राजस्व प्राप्तियां (₹ करोड़ में)	**18,154**	**22,720**	**25,867**	**29,578**	**32,050**
राजस्व प्राप्तियां (आर आर) की वृद्धि दर	15.90	25.15	13.86	14.35	8.36
राज्य के स्वंय के कर	7,123	9,005	10,712	13,034	14,343
राज्य के स्वंय के कर की वृद्धि दर	8.03	26.42	18.96	21.68	10.04
सकल घरेलू उत्पाद[5] (₹ करोड़ में)	99,364	1,19,420	1,44,382 P	1,63,461 Q	1,85,060 A
जीएसडीपी की वृद्धि दर	2.47	20.18	20.90	13.21	13.21
राजस्व प्राप्तियां/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	18.27	19.03	17.92	18.09	17.32
उत्प्लावक्ता अनुपात[6]					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावक्ता	6.44	1.25	0.66	1.09	0.63
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य के स्वंय के कर उत्प्लावक्ता	3.25	1.31	0.91	1.64	0.76

(स्रोतः संबंधित वर्षो के वित्त लेखे)
(ए- एडवांस, क्यू- क्विक, पी- प्रोविजनल)

[5] विगत वर्ष से जीएसडीपी के आंकड़ों में परिवर्तन किया गया है। यह आंकड़े वर्ष 2010-11 में ₹ 1,17,978 करोड़, वर्ष 2011-12 में ₹ 1,39,515 करोड़ तथा वर्ष 2012-13 में ₹ 1,60,118 करोड़ थे। अतएव उत्पलावक्ता के आंकड़ों में भी परिवर्तन हुआ है।

[6] उत्प्लावकता अनुपात दिए गये आधार चर के सापेक्ष राजकोषीय चर के लोच या जवाबदेही की प्रमात्रा को इंगित करता है उदाहरण के लिये यदि जीएसडीपी में एक प्रतिशत की वृद्धि होती है तो राजस्व उत्प्लावकता विन्दु 0.6 प्रतिशत की ओर उन्मुख होगी ।

- वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि में राजस्व प्राप्ति की वृद्धि दर 8.36 प्रतिशत से 25.15 प्रतिशत के मध्य, अस्थिर प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। वर्ष 2013-14 में विगत पांच वर्षो में न्यूनतम वृद्धि दर (8.36 प्रतिशत) अंकित किया गया।
- राजस्व उत्प्लावक्ता, जो कि राजस्व प्राप्ति की वृद्धि तथा जीएसडीपी के अनुपाती है, अस्थिर प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। राजस्व उत्प्लावक्ता अनुपात, जो कि वर्ष 2009-10 में उच्चतम स्तर 6.44 पर था, जीएसडीपी के अधिक वृद्धि दर के कारण वर्ष 2010-11 में घटकर 1.25 तथा 2011-12 में 0.66 हो गया। तथापि वर्ष 2013-14 में राजस्व प्राप्ति की वृद्धि दर (8.36 प्रतिशत) में पूर्व वर्ष (14.35 प्रतिशत) की तुलना में कमी आने के कारण यह न्यूनतम स्तर 0.63 पर पहुंच गया।
- वर्ष 2009-14 की अवधि में कर राजस्व की वृद्धि तथा उत्प्लावक्ता अनुपात में अस्थिरता के कारण, राज्य के स्वयं के कर राजस्व उत्प्लावक्ता में अस्थिर प्रवृति देखी गई जो कि वर्ष 2009-10 में अपने उच्चतम स्तर 3.25 पर थी। वर्ष 2010-11 में यह घट कर 1.31 हो गई तथा वर्ष 2011-12 में यह 0.91 हो गई। यद्यपि यह 2012-13 के 1.64 से वर्ष 2013-14 में 0.76 के निम्नतम स्तर पर पहुँच गया।
- वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी की वृद्धि दर में 2.47 प्रतिशत से 20.90 प्रतिशत की विभिन्नता दर्ज की गई। वर्ष 2013-14 में जीएसडीपी में 13.21 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई ।

1.3.1 राज्य के स्वंय के संसाधन

जैसे वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर केन्द्रीय करों एवं सहायता अनुदानों में राज्य के हिस्सों का निर्धारण होता है, संसाधनों के संग्रहण में गति प्रदान हेतु राज्य के निष्पादन का मूल्यांकन राज्य के अपने संसाधन, जिसमें स्वंय के कर तथा करेत्तर स्त्रोत शामिल हैं, के संबंध में किया गया।

वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य के वास्तविक कर एवं करेत्तर प्राप्तियों का 13वें वित्त आयोग द्वारा किये गए मूल्यांकन एवं बजट अनुमानों के विरूद्ध तुलनात्मक विवरण **तालिका 1.5** एवं **तालिका 1.6** में दर्शाया गया।

तालिका 1.5 कर राजस्व तथा करेत्तर राजस्व

(₹ करोड़ में)

	13वें वित्त आयोग के अनुमान	बजट अनुमान	एफआरबीएम प्रकटीकरण	वास्तविक
राज्य के स्वंय का कर राजस्व	12,735	15,300	15,300	14,343
राज्य का करेत्तर राजस्व	2,811	6,072	6,072	5,101

(स्रोतः वित्त लेखे 2013-14, एफआरबीएम दस्तावेज, बजट अभिलेख तथा तेरहवें वित्त आयोग प्रतिवेदन)

तालिका 1.6 कर/करेत्तर राजस्व का 2009-14 के दौरान वृद्धि दर

(₹ करोड़ में)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
स्वंय का कर राजस्व	7,123	9,005	10,712	13,034	14,343
वृद्धि दर (प्रतिशत)	8.03	26.42	18.96	21.68	10.04
करेत्तर राजस्व	3,043	3,836	4,058	4,616	5,101
वृद्धि दर (प्रतिशत)	38.19	26.06	5.81	13.74	10.51

(स्त्रोतः संबंधित वर्षो के वित्त लेखे)

राज्य के स्वंय का कर राजस्व, 13वें वित्त आयोग के अनुमान से ₹ 1,608 करोड़ अधिक था परन्तु बजट अनुमानों के आंकलन से ₹ 957 करोड़ कम था। बजट अनुमान के विरूद्ध कमी का मुख्य कारण मुद्रांक तथा पंजीयन शुल्क, बिक्री व्यापार आदि पर कर, माल तथा यात्रियों पर कर तथा वाहन पर कर के संग्रहण में कमी था। इन शीर्षो में बजट अनुमान क्रमशः ₹ 1,150 करोड़, ₹ 8,436 करोड़, ₹ 1,192 करोड़ तथा ₹ 731.38 करोड़ के विरूद्ध वास्तविक संग्रहण क्रमशः ₹ 990.24 करोड़, ₹ 7,929.51 करोड़, ₹ 945.44 करोड़ तथा ₹ 651.07 करोड़ था।

इसी तरह, राज्य का करेत्तर राजस्व, बजट अनुमान तथा एफआरबीएम प्रकटीकरण से ₹ 971 करोड़ कम था परन्तु तेरहवें वित्त आयोग के लक्ष्य से ₹ 2,290 करोड़ अधिक था।

1.3.1.1 स्वंय के कर राजस्व

विगत पांच वर्ष के दौरान प्रमुख करों एवं शुल्कों के संग्रहण के सकल आंकड़े **तालिका 1.7** में दिये गये है -

तालिका 1.7 स्वंय के कर राजस्व का क्षेत्रवार घटक

(₹ करोड़ में)

स्वयं के कर राजस्व घटक	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2013-14 की अवधि में पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4	5	6	7
बिक्री, व्यापार आदि का कर	3,712	4,841	6,006	6,929	7,930	14
राज्य आबकारी	1,188	1,506	1,597	2,486	2,549	3
वाहन पर कर	352	428	502	592	651	10
मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	583	786	846	952	990	4
भू-राजस्व	160	247	271	234	226	-3
माल एवं यात्रियों पर कर	696	675	826	954	945	-1
अन्य कर[7]	432	522	664	887	1052	18
योग	**7,123**	**9,005**	**10,712**	**13,034**	**14,343**	
वृद्धि दर (प्रतिशत में)	8.03	26.42	18.96	21.68	10.04	

(स्त्रोत: संबंधित वर्षो के वित्त लेखे)

वर्ष 2009-14 के दौरान स्वंय के कर राजस्व के वृद्धि दर में अस्थिर प्रवृत्ति देखी गई जो आठ से 26 प्रतिशत के बीच रही। कर राजस्व की वृद्धि दर वर्ष 2012-13 में 21.68 प्रतिशत के स्तर से बढ़कर 2013-14 में 10.04 प्रतिशत हो गई। विगत वर्ष (₹ 13,034 करोड़) की तुलना में वर्ष 2013-14 (₹ 14,343 करोड़) में कर राजस्व में ₹ 1,309 करोड़ का वृद्धि मुख्यतः विभित्र प्राप्तियों में वृद्धि यथा बिक्री व्यापार इत्यादि

[7] अन्य कर होटल प्राप्तियां, आय एवं व्यय पर कर, विद्युत पर कर एवं शुल्क तथा सेवाओं एवं सामग्रियों पर कर एवं शुल्क।

(₹ 1,001 करोड़), विद्युत पर कर एवं शुल्क (₹ 160 करोड़), राज्य आबकारी (₹ 63 करोड़) तथा वाहनों पर कर (₹ 59 करोड़) में वृद्धि के कारण हुई।

1.3.1.2 करेत्तर राजस्व

करेत्तर राजस्व प्राप्तियों की संरचना का विस्तृत विवरण **तालिका 1.8** में दिया गया है।

तालिका 1.8 करेत्तर राजस्व की संरचना

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	विगत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
ब्याज प्राप्तियां	220.70	170.95	216.57	243.13	380.90	57
लाभांश एवं लाभ	0.44	4.30	0.46	2.19	14.21	549
अन्य करेत्तर राजस्व	2,821.86	3,660.07	3,841.45	4,370.63	4,706.06	8
कुल करेत्तर राजस्व	**3,043.00**	**3,835.32**	**4,058.48**	**4,615.95**	**5,101.17**	11

(स्त्रोत संबंधित वर्षो के वित्त लेखे)

ब्याज प्राप्तियां वर्ष 2009-10 में ₹ 220.70 करोड़ से घटकर 2010-11 में ₹ 170.95 करोड़ हो गई एवं तत्पश्चात् प्रत्येक वर्ष बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 380.90 करोड़ हो गई। लाभांश तथा लाभ में 2009-10 से 2013-14 की अवधि में अस्थिर प्रवृत्ति देखी गई तथा यह ₹ 0.44 करोड़ से ₹ 14.21 करोड़ के बीच रहा। यद्यपि अन्य करेत्तर राजस्व प्राप्ति वर्ष 2009-10 में ₹ 2,822 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013-14 में 4,706 करोड़ हो गई।

कुल करेत्तर राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2009-10 में ₹ 3,043 करोड़ से ₹ 2,058 करोड़ बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 5,101 करोड़ हो गई। वर्ष 2013-14 के दौरान करेत्तर राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 11 प्रतिशत (₹ 485 करोड़) की वृद्धि मुख्यतः लघु सिंचाई से प्राप्तियों में ₹ 161 करोड़, अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योगों से प्राप्तियों में ₹ 98 करोड़, वन तथा वन्य प्राणी से प्राप्तियों में ₹ 42 करोड़ तथा अन्य सामाजिक सेवाओं से प्राप्तियों में ₹ 52 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई।

अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योगों के राजस्व में वृद्धि का मुख्य कारण अग्रिम रायल्टी का जमा करना, शासकीय एवं अर्धशासकीय कार्यो में खनिज धातु के प्रयोग तथा धातु संग्रहण नियम के अनुसार अधिक प्राप्तियां थी। कुल करेत्तर राजस्व (₹ 5,101 करोड़) में अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योगों (₹ 3,236 करोड़) का 63 प्रतिशत का योगदान था। वर्ष 2013-14 के दौरान अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग (₹ 98 करोड़) की वृद्धि कुल करेत्तर राजस्व (₹ 485 करोड़) की वृद्धि का 20 प्रतिशत था।

1.3.2 कर के संग्रहण की लागत

वित्तीय वर्ष 2011-12 से वर्ष 2013-14 की अवधि में प्रमुख करों का सकल संग्रहण तथा संग्रहण पर किए गए व्यय की जानकारी **तालिका 1.9** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.9 : करों एवं शुल्कों के संग्रहण का लागत

राजस्व शीर्ष	वर्ष	सकल संग्रहण (₹ करोड़ में)	राजस्व के संग्रहण पर व्यय (₹ करोड़ में)	संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत	विगत वर्षों का अखिल भारतीय औसत प्रतिशत
बिक्री व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	2011-12	6,006.25	40.63	0.68	0.75
	2012-13	6,928.65	37.42	0.54	0.83
	2013-14	8,894.01	41.40	0.47	0.73
वाहन पर कर	2011-12	502.19	10.00	1.99	3.71
	2012-13	591.75	10.73	1.81	2.96
	2013-14	655.35	7.48	1.14	4.17
राज्य आबकारी	2011-12	1,596.97	52.06	3.26	3.05
	2012-13	2,485.68	46.63	1.88	2.98
	2013-14	2,578.19	53.22	2.06	2.96
मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	2011-12	845.82	20.75	2.45	1.60
	2012-13	951.65	17.27	1.81	1.89
	2013-14	989.35	13.87	1.40	3.25

(स्रोतः महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के राजस्व लेखापरीक्षा शाखा द्वारा प्रदत्त जानकारी)

तालिका 1.9 से विदित है कि वर्ष 2013-14 में बिक्री, व्यापार आदि पर कर/वैट, वाहन पर कर तथा मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क के संग्रहण के लागत का प्रतिशत में विगत वर्ष की तुलना में कमी आई है। वर्ष 2013-14 में, राज्य आबकारी के संग्रहण के लागत में विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई। तथापि, वर्ष 2013-14 में, बिक्री तथा व्यापार आदि पर वैट/कर, वाहन पर कर, राज्य आबकारी तथा मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क के, संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत इन सभी के लिए अखिल भारतीय औसत से कम था।

1.3.3 भारत सरकार से सहायता अनुदान

आयोजनेत्तर, राज्य आयोजना, केन्द्र आयोजना तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान की प्रवृत्ति, **तालिका 1.10** में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.10 भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6
आयोजनेत्तर अनुदान	1,482.20	1,397.45	1,545.07	1,227.29	1,415.78
राज्य आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	1,429.42	2,169.91	1,930.51	2,112.69	2,121.47
केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	71.84	47.95	61.75	107.28	43.34
केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं हेतु अनुदान	623.28	838.58	1,238.88	1,263.07	1,145.57
योग	**3,606.74**	**4,453.89**	**4,776.21**	**4,710.33**	**4,726.16**
विगत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	38.25	23.49	7.24	(-) 1.38	0.34
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में कुल अनुदान	19.87	19.60	18.46	15.93	14.75
राजस्व प्राप्तियां	18,154	22,720	25,867	29,578	32,050

(स्त्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

- वर्ष 2013-14 के दौरान, भारत सरकार से ₹ 4,726.16 करोड़ सहायता अनुदान प्राप्त हुआ जो वर्ष 2012-13 में ₹ 4,710.33 करोड़ था।
- भारत सरकार से आयोजनेत्तर अनुदान 2012-13 के ₹ 1,227 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 1,416 करोड़ हो गया जो मुख्यतः पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त निष्पादन अनुदान (123 प्रतिशत) में तथा विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय के शिक्षकों के वेतनमान के लिए अनुदान (100 प्रतिशत) में वृद्धि के कारण हुआ था।
- एकमुश्त अनुदान में 24 प्रतिशत वृद्धि के कारण राज्य आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान वर्ष 2012-13 में ₹ 2,113 करोड़ से अल्प वृद्धि करते हुए 2013-14 में ₹ 2,121 करोड़ हो गया।
- वर्ष 2013-14 में केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान में वर्ष 2012-13 की तुलना में 60 प्रतिशत की कमी आई। विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2013-14 में केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं हेतु अनुदान में ₹ 117 करोड़ की कमी हुई।
- वर्ष 2013-14 के दौरान, ऋण सुद्वढ़ीकरण एवं राहत सुविधा के तहत राज्य को कोई भी ऋण राहत प्राप्त नहीं हुआ था।

1.3.4 केन्द्रीय कर अंतरण

वर्ष 2012-13 के ₹ 7,218 करोड़ के विरूद्ध वर्ष 2013-14 में केन्द्रीय कर हस्तांतरण (सी.टी.टी) ₹ 7,880 करोड़ था। विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2013-14 में राज्य का सी.टी.टी ₹ 662 करोड़ (नौ प्रतिशत) बढ़ गया। यह वृद्धि मुख्यतः सेवा कर (₹ 230 करोड़ से), निगम कर के अतिरिक्त अन्य आयों पर कर (₹ 193 करोड़ से), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (₹ 93 करोड़ से), निगम कर (₹ 58 करोड़ से) तथा सीमा शुल्क (₹ 86 करोड़ से) में हुई। वर्ष 2013-14 की अवधि में (सी.टी.टी) राज्य के राजस्व प्राप्तियों का 25 प्रतिशत था।

1.3.5 तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों की उपयोगिता

राज्य सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार करने के लिए, तेरहवें वित्त आयोग ने अनुदान की अनुशंसा की। वित्त लेखे 2013-14 के विवरण क्रमांक-11 के अनुसार राज्य शासन ने वित्त आयोग अनुदान के रूप में ₹ 1,191.55 करोड़ प्राप्त किया (संविधान के अनुच्छेद 275 (1) वित्त आयोग अनुदान के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 1601-01-104-अनुदान के तहत ₹ 1,063.30 करोड़ तथा राज्य आपदा उन्मोचन निधि में योगदान करने हेतु मुख्य शीर्ष 1601-01-109 अनुदान के तहत ₹ 128.25 करोड़)। विभिन्न शीर्षो के अंतर्गत तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान की उपयोगिता का विवरण **तालिका 1.11** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.11 वर्ष 2013-14 के 13वें वित्त आयोग अनुदानों की उपयोगिता

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष एवं नामावली	कुल बजट प्रावधन	स्थिति				अनुपयोगी राशि का प्रतिशत
		समर्पण	व्यय	बचत(+) आधिक्य(-)	कुल अनुपयोगी राशि	
1	2	3	4	5	6 = 3+5	7
राजस्व लेखे						
2014- न्याय प्रशासन	25.37	0.00	17.38	7.99	7.99	31.49
2054-कोषालय एवं लेखा	1.85	0.63	1.22	0.00	0.63	34.05
2055-पुलिस	1.65	0.02	1.02	0.61	0.63	38.18
2202- सामान्य शिक्षा	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00
2203- तकनीकी शिक्षा	9.00	5.96	3.08	(-) 0.04	5.92	65.78
2205- कला एवं संस्कृति	4.55	0.00	2.56	1.99	1.99	43.74
2217- शहरी विकास	164.07	50.93	113.15	(-) 0.01	50.92	31.04
2406- वानिकी एवं वन्य प्राणी	105.08	8.21	96.89	(-) 0.02	8.19	7.79
2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	462.70	86.44	376.26	0.00	86.44	18.68
3054- सड़क एवं सेतु	96.00	96.00	0.00	0.00	96.00	100.00
3454- जनगणना एवं सांख्यिकी	25.03	21.22	3.82	(-) 0.01	21.21	84.74
पूंजीगत लेखे						
4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	76.76	10.50	49.89	16.37	26.87	35.01
4202- शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	6.70	0.00	4.47	2.23	2.23	33.28
4210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	32.20	0.00	2.88	29.32	29.32	91.06
4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय	62.50	62.50	0.00	0.00	62.50	100.00
4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	137.50	137.50	0.00	0.00	137.50	100.00
4235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	37.50	37.50	0.00	0.00	37.50	100.00
4406- वानिकी एवं वन्य प्राणी पर पूंजीगत परिव्यय	15.65	2.68	10.56	2.41	5.09	32.52
कुल योग	**1458.11**	**520.09**	**877.18**	**60.84**	**580.93**	**39.84**

(स्रोत:वर्ष 2013-14 के विस्तृत विनियोग लेखे)

तालिका से यह स्पष्ट है कि-

- कुल राशि ₹ 1,458.11 करोड़ के प्रावधान में से राशि ₹ 877.18 करोड़ जो कि कुल राशि का 60 प्रतिशत था, का उपयोग किया गया तथा ₹ 580.93 करोड़ (40 प्रतिशत) को समर्पित (₹ 520.09 करोड़) किया गया या वर्ष 2013-14 के अन्त में शासन के खाते में व्यपगत (₹ 60.84 करोड़) हुआ। इस प्रकार शासन, 13वें वित्त आयोग कि अनुशंसा पर दी गई निधि का 40 प्रतिशत (₹ 580.93 करोड़) उपयोग नहीं कर सकी।
- वर्ष 2013-14 के दौरान 13वें वित्त आयोग कि अनुशंसा पर सहायता अनुदान के अंतर्गत दी गई निधि का पूर्णरूपेण उपयोग मात्र एक मुख्य शीर्ष 2202 - सामान्य शिक्षा में ही किया जा सका।

- यद्यपि मुख्य शीर्ष 3054-सड़क एवं सेतु, 4216 - आवास पर पूंजीगत परिव्यय, 4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय में कोई राशि उपयोग नहीं किया जा सका। शेष प्रकरणों में बचत का प्रतिशत 7.79 से 91.06 के मध्य रहा। बचत का कारण मुख्य रूप से प्रशासकीय स्वीकृति का प्राप्त न होना, भारत सरकार द्वारा राशि विमुक्त न किया जाना तथा योजना का लागू न किया जाना था।

1.4 पूंजीगत प्राप्तियाँ

पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां, ऋण एवं अग्रिम की वसूली, अंतर्राज्यीय समाशोधन एवं लोक ऋण प्राप्तियां सम्मिलित है। वर्ष 2009-14 की अवधि के दौरान पूंजीगत प्राप्तियों के घटक एवं प्रवृत्ति **तालिका 1.12** तथा **परिशिष्ट 1.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.12 पूंजीगत प्राप्तियों के घटक तथा वृद्धि की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

शासन के प्राप्तियों का स्त्रोत	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
पूंजीगत प्राप्तियां	**2,284.99**	**1,361.56**	**1,710.01**	**3,603.66**	**5,581.94**
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	2.31	2.56	3.93	2.39	7.64
ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	992.43	561.16	1,282.53	1,542.01	1,637.27
अंतर्राज्यीय परिशोधन	3.04	2.65	2.21	1.53	5.14
कुल गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	**997.78**	**566.37**	**1,288.67**	**1,545.93**	**1,650.05**
गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां के वृद्धि की दर	85.92	-43.24	127.53	19.96	6.74
लोक ऋण प्राप्तियां	**1,287.21**	**795.19**	**421.34**	**2,057.73**	**3,931.89**
लोक ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के वृद्धि दर	233.18	-38.22	-47.01	388.38	91.08
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि की दर	2.47	20.18	20.90	13.21	13.21
पूंजीगत प्राप्तियां के वृद्धि की दर (प्रतिशत)	147.56	-40.41	25.59	110.74	54.90

(स्त्रोत:संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

तालिका 1.12 से यह स्पष्ट है कि राज्य की पूंजीगत प्राप्तियां वर्ष 2009-10 के ₹ 2,285 करोड़ से ₹ 3,297 करोड़ बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 5,582 करोड़ हो गई। विगत वर्ष से 2013-14 में पूंजीगत प्राप्तियां में ₹ 1,978 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से लोक ऋण प्राप्तियों में ₹ 1,874 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई। आगे, बाजार ऋण में वर्ष 2012-13 के ₹ 1,500 करोड़ से वर्ष 2013-14 में ₹ 3,000 करोड़ की अभूतपूर्व वृद्धि के कारण लोक ऋण प्राप्तियों में वृद्धि हुई।

1.4.1 ऋण एवं अग्रिमों की वसूली

ऋण एवं अग्रिमों की वसूली वर्ष 2009-10 में ₹ 992 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 1,637 करोड़ हो गई। मार्च 2014 तक कुल मिलाकर ₹ 708 करोड़ के ऋण तथा उन पर लगने वाले ब्याज की वसूली बकाया थी।

वर्ष के दौरान छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम (₹ 9.58 करोड़) को नए ऋण (ब्याज मुक्त) दिए गए, जिनसे ₹ 136.11 करोड़ के पूर्व के ऋणों की वसूली लंबित थी। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम को ₹ 1.00 करोड़ के ऋण नियम एवं शर्तो को निर्धारित किए बिना ही प्रदान किए गए।

1.4.2 आंतरिक स्त्रोतों से ऋण प्राप्तियां

राज्य, अपने संसाधनों की कमी तथा पूंजीगत व्यय की प्रतिपूर्ती हेतु आंतरिक बाजार से निधि की व्यवस्था करता है। वर्ष 2009-10 में आंतरिक ऋण ₹ 1,064 करोड़ से घटकर वर्ष 2010-11 में ₹ 592 करोड़ हो गया एवं तत्पश्चात् वर्ष 2011-12 में ₹ 365 करोड़ हो गया। उसके बाद वर्ष 2012-13 में यह बढ़कर ₹ 2,041 करोड़ हो गया तथा वर्ष 2013-14 में ₹ 3,917 करोड़ हो गया। वर्ष 2013-14 में आंतरिक ऋण में योगदान बाजार ऋण (₹ 3,000 करोड़), राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से लिए गए ऋण (₹ 674 करोड़) तथा राष्ट्रीय लघु बचत निधि (₹ 243 करोड़) का था।

1.4.3 भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम

भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम में वर्ष 2009-14 की अवधि में निरंतर कमी आई जिससे यह वर्ष 2009-10 में ₹ 223 करोड़ से वर्ष 2013-14 में ₹ 15 करोड़ हो गया। वर्ष 2013-14 में राज्य आयोजनागत योजनाओं हेतु ₹ 12 करोड़ के ऋण एवं अग्रिम प्राप्त किया गया। वर्ष 2013-14 के दौरान केन्द्रीय आयोजनागत योजना तथा केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के लिए कोई भी नया ऋण प्राप्त नहीं किया गया था।

1.5 लोक लेखा प्राप्तियां

कुछ निश्चित लेनदेन जैसे छोटी बचत, भविष्य निधि, रक्षित निधि, जमा, उचन्त, प्रेषण आदि जिनका उल्लेख राज्य की संचित निधि में नहीं होता है, की प्राप्तियों एवं संवितरणों को, संविधान के अनुच्छेद 266(2) के तहत गठित लोक लेखा में रखा जाता है तथा यह राज्य विधानमंडल के मताधीन नहीं है। इस मामले में शासन एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। संवितरण के पश्चात् शेष राशि शासन के उपयोग के लिये उपलब्ध होती है। 2009-14 की अवधि के दौरान शुद्ध लोक लेखा प्राप्तियां एवं इसके घटक **तालिका 1.13** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.13 शुद्ध लोक लेखा प्राप्तियाँ तथा इसके घटक

(₹ करोड़ में)

विभिन्न शीर्षो के अंतर्गत संसाधन	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
शुद्ध लोक लेखा प्राप्तियाँ[8]					
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	294.37	328.97	307.76	293.47	265.40
आरक्षित निधि	344.86	21.60	208.75	530.88	402.11
उचंत तथा विविध	127.92	(-)111.03	22.40	(-)28.58	44.93
प्रेषण	(-)111.84	33.68	96.10	(-) 64.17	(-)98.03
जमा तथा अग्रिम	(-)22.46	355.25	585.95	521.18	1,818.98
रिजर्व बैंक से अन्त शेष ओवर ड्राफ्ट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल लोक लेखा प्राप्तियाँ	**632.85**	**628.47**	**1,220.96**	**1,052.78**	**2,433.39**

(स्त्रोत संबंधित वर्षो के वित्त लेखे)

[8] शुद्ध लोक लेखा प्राप्तियां = लोक लेखा प्राप्तियां - लोक लेखा भुगतान। उचंत एवं विविध तथा आरक्षित निधि के आंकड़े निवेश के आंकड़े को छोड़कर दर्शाया गया है।

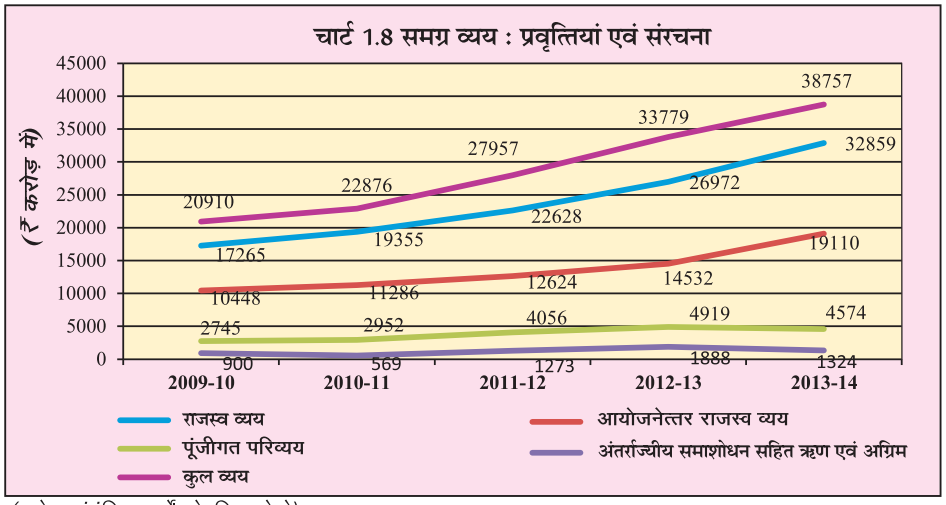
शुद्ध लोक लेखा के प्राप्तियों (लोलेप्रा) (कुल लोलेप्रा में से कुल लोक लेखा संवितरणों को घटाने के बाद) में वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान अस्थिर प्रवृति देखी गई जो कि ₹ 628 करोड़ से ₹ 2,433 करोड़ के मध्य रही। शुद्ध लोलेप्रा वर्ष 2012-13 में ₹ 1,052.78 करोड़ से ₹ 1,380.61 करोड़ बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 2,433.39 करोड़ हो गया। लोक लेखा प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यतः जमा तथा अग्रिमों, उचंत तथा विविध तथा प्रेषण में वृद्धि के कारण हुई। यद्यपि लोक लेखा प्राप्तियों में शुद्ध कमी आरक्षित निधि तथा लघु बचत निधि इत्यादि में थी।

1.6 संसाधनों का उपयोग

चूँकि राज्य शासन को व्यय करने का महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया है अतः उनके स्तर पर व्यय के आवंटन के विश्लेषण का कार्य महत्वपूर्ण हो जाता है। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान के ढाँचे के अंतर्गत घाटे अथवा उधारियों से वित्त पोषण के माध्यम से लोक व्यय को बढ़ाने में बजट संबंधी कई कठिनाइयाँ है। इसलिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि राज्य स्तर पर, जारी राजकोषीय सुधार एवं सुदृढ़ीकरण के दौरान विशेषकर विकास एवं सामाजिक सेवा उन्मुख व्यय लागत पर लागू न किया जाए।

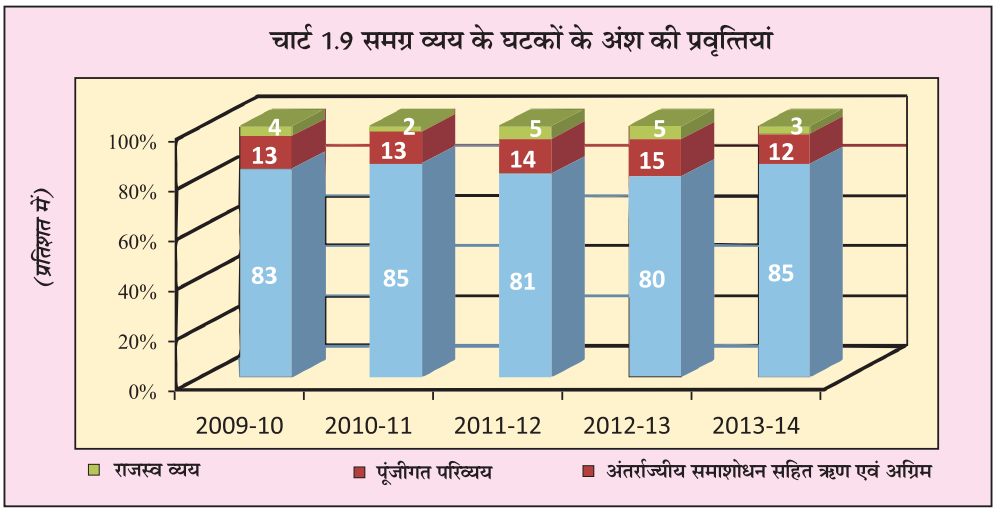
1.6.1 व्यय की संरचना एवं वृद्धि

चार्ट 1.8, विगत पाँच वर्षों (2009-14) की अवधि में किये गये कुल व्यय[9] की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करता है तथा 'आर्थिक वर्गीकरण' एवं क्रियाकलापों द्वारा व्यय इन दोनों के संदर्भ में इसकी संरचना को क्रमशः **चार्ट 1.8** तथा **चार्ट 1.9** में चित्रित किया गया है।



(स्त्रोत:संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

[9] कुल व्यय में लोक ऋण अदायगी सम्मिलित नहीं है।



(स्त्रोतः संबंधित वर्षो के वित्त लेखे)

वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान कुल व्यय एवं इसके घटक का विवरण नीचे **तालिका 1.14** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.14 कुल व्यय एवं इसके घटक

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
कुल व्यय (₹ करोड़ में)	**20,910**	**22,876**	**27,957**	**33,779**	**38,757**
वृद्धि दर (प्रतिशत में)	21.39	9.40	22.21	20.82	14.74
राजस्व व्यय (₹ करोड़ में) (कुल व्यय का प्रतिशत)	17,265 *(83)*	19,355 *(85)*	22,628 *(81)*	26,972 *(80)*	32,859 *(85)*
जिसमें आयोजनेत्तर राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	10,448	11,286	12,624	14,532	19,110
पूँजीगत व्यय (कुल व्यय का प्रतिशत)	2,745 *(13)*	2,952 *(13)*	4,056 *(14)*	4,919 *(15)*	4,574 *(12)*
ऋण एवं अग्रिम* (कुल व्यय का प्रतिशत)	900 *(04)*	569 *(02)*	1,273 *(05)*	1,888 *(05)*	1,324 *(03)*
राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	99,364	1,19,420	1,44,382[P]	1,63,461[Q]	1,85,060[A]
सकल राज्य घरेलू उत्पाद का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	2.47	20.18	20.9	13.21	13.21

(स्त्रोतः संबंधित वर्षो के वित्त लेखे) ए-एडवांस, क्यु-क्विक, पी-प्रोविजनल
*अंतर्राज्यीय समाशोधन भी शामिल है।

- कुल व्यय जिसमें राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय अंतर्राज्यीय समाशोधन सहित ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है, वर्ष 2009-10 के ₹ 20,910 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 38,757 करोड़ हो गया।
- वर्ष 2013-14 में पिछले वर्ष की तुलना में कुल व्यय में ₹ 4,978 करोड़ की वृद्धि का कारण मुख्यतः राजस्व व्यय में ₹ 5,887 करोड़ (22 प्रतिशत) की वृद्धि थी।

- यद्यपि पूँजीगत व्यय में ₹ 345 करोड़ (सात प्रतिशत) तथा अंतर्राज्यीय समाशोधन सहित ऋण एवं अग्रिमों में ₹ 564 करोड़ (30 प्रतिशत) की कमी आई।
- वर्ष 2009-14 के दौरान कुल व्यय की वृद्धि दर में अस्थिर प्रवृति देखी गई, जो नौ प्रतिशत से 22 प्रतिशत के बीच घटती-बढ़ती रही। कुल व्यय की वृद्धि दर वर्ष 2012-13 में 21 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2013-14 में 15 प्रतिशत हो गई।
- वर्ष 2013-14 के दौरान कुल व्यय, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 21 प्रतिशत रहा।
- वर्ष 2013-14 के दौरान, कुल व्यय में राजस्व व्यय 85 प्रतिशत रहा जबकि पूँजीगत व्यय 12 प्रतिशत रहा। संवितरित किए गए ऋण तथा अग्रिम, कुल व्यय का तीन प्रतिशत रहा।
- वर्ष 2012-13 में 43 प्रतिशत के तुलना में वर्ष 2013-14 में करेत्तर राजस्व व्यय कुल व्यय का 49 प्रतिशत था।

1.6.2 राजस्व व्यय

पिछले दायित्वों के भुगतान के लिए एवं सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाये रखने हेतु राजस्व व्यय किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप राज्य की बुनियादी सुविधाओं एवं सेवाओं के नेटवर्क में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं होती है।

कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय वर्ष 2009-10 में 83 प्रतिशत से बढ़कर 2010-11 में 85 प्रतिशत हो गया और इसके बाद गिरावट शुरू हुई जो 2012-13 में कम होकर 80 प्रतिशत हो गया लेकिन यह एक बार फिर वर्ष 2013-14 में बढ़कर 85 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2013-14 के दौरान राजस्व व्यय, जीएसडीपी का 18 प्रतिशत था। वर्ष 2013-14 के दौरान राजस्व व्यय ₹ 32,859 करोड़ था जिसमें ₹ 19,110 करोड़ (58 प्रतिशत) आयोजनेत्तर घटक पर एवं ₹ 13,749 करोड़ (42 प्रतिशत) आयोजना घटक पर व्यय किया गया था।

1.6.2.1 आयोजना राजस्व व्यय

वर्ष 2013-14 के दौरान, ₹ 15,546 करोड़ के बजट अनुमान के तुलना में आयोजनागत राजस्व व्यय ₹ 13,749 करोड़ था। वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान कुल राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में आयोजनागत राजस्व व्यय का हिस्सा 39 प्रतिशत से 46 प्रतिशत के बीच रहा। वर्ष 2012-13 की तुलना में 2013-14 के दौरान आयोजनागत राजस्व व्यय में 11 प्रतिशत (₹ 1,309 करोड़) की वृद्धि हुई जिसका कारण मुख्यतः शिक्षा, खेल कला एवं संस्कृति (25 प्रतिशत), समाज कल्याण एवं पोषण (62 प्रतिशत) तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (28 प्रतिशत) के अंतर्गत व्यय में वृद्धि था।

1.6.2.2 आयोजनेत्तर राजस्व व्यय

वर्ष 2013-14 के दौरान, ₹ 19,470 करोड़ के बजट अनुमान के विरूद्ध आयोजनेत्तर राजस्व व्यय ₹ 19,110 करोड़ था। वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान कुल राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में आयोजनेत्तर राजस्व व्यय का हिस्सा 54 प्रतिशत से 61 प्रतिशत के बीच रहा। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान आयोजनेत्तर

राजस्व व्यय में ₹ 4,578 करोड़ (32 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जिसमें प्रशासनिक सेवाएं (₹ 453 करोड़), पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं (₹ 340 करोड़) और परिवहन (₹ 328 करोड़) के अंतर्गत व्यय में वृद्धि था।

1.6.3 वेतन, ब्याज भुगतान, पेंशन भुगतान एवं सब्सिडी पर व्यय

राजस्व लेखे में राज्य शासन के व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदुरी पर व्यय, पेंशन एवं सब्सिडी सम्मिलित है। **तालिका 1.15** और **चार्ट 1.10**, वर्ष 2009-14 की अवधि के दौरान इन घटकों पर व्यय की प्रवृत्ति को प्रस्तुत करता है।

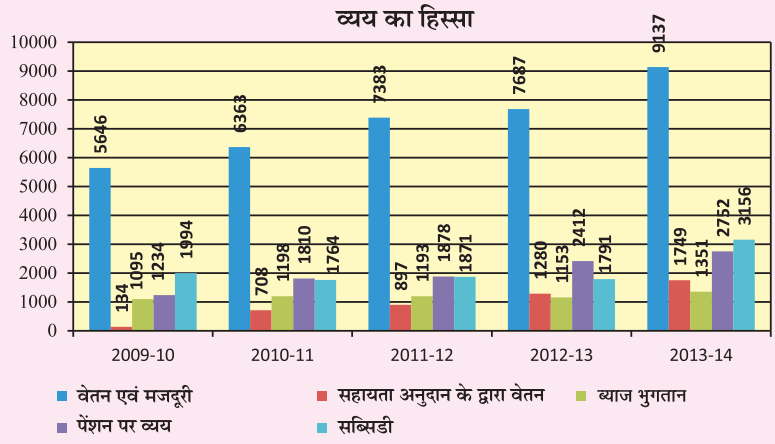
तालिका 1.15 वेतन एवं मजदूरी, सहायता अनुदान के द्वारा वेतन भुगतान, ब्याज भुगतान, पेंशन एवं सब्सिडी पर व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

घटक	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	
					बजट अनुमान	वास्तविक
वेतन एवं मजदूरी पर व्यय जिसमें	5,646.29 (31.10)	6,362.92 (28.01)	7,382.61 (28.54)	7,686.52	10,381.94	9137.19[10]
आयोजनेत्तर शीर्ष	4,016.30	4,338.28	4,893.18	5,018.01	लागू नहीं*	6,267.88
आयोजना शीर्ष **	1,629.99	2,024.64	2,489.43	2,668.51	लागू नहीं	2,869.31
सहायता अनुदान के द्वारा वेतन भुगतान	133.71 (0.74)	708.33 (3.12)	897.27 (3.47)	1,280.34	लागू नहीं	1,749.32
ब्याज भुगतान	1,094.86 (6.03)	1,198.38 (5.27)	1,193.20 (4.61)	1,153.49	1,246.43	1,350.53
पेंशन पर व्यय	1,233.76 (6.80)	1,810.33 (7.97)	1,877.87 (7.26)	2,412.14	2,504.70	2,751.87
सब्सिडी	1,994.30 (10.99)	1,763.83 (7.76)	1,870.93 (7.23)	1,790.83	2,273.44	3,155.53
कुल व्यय	**10,102.92**	**11,843.79**	**13,221.88**	**14,323.32**		**18,144.44**

(स्रोतः सम्बंधित वर्षों का वित्त लेखे)
कोष्टक में प्रदर्शित आंकड़े राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत को इंगित करते है।
* बजट प्राक्कलन में आँकड़े अलग-अलग उपलब्ध नहीं है।
** शीर्ष में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के तहत भुगतान किये गये वेतन एवं मजदूरी भी सम्मिलित है।

चार्ट 1.10 वर्ष 2009-14 के दौरान आयोजनेत्तर राजस्व में बाध्यकारी व्यय का हिस्सा



(स्रोतः सम्बंधित वर्षों का वित्त लेखे)

[10] इसमें ₹ 8,558.69 करोड़ वेतन तथा ₹ 578.50 करोड़ मजदूरी सम्मिलित है।

वर्ष 2012-13 में वेतन एवं मजदूरी, सहायता अनुदान के द्वारा वेतन भुगतान, ब्याज भुगतान, पेंशन एवं सब्सिडी पर कुल व्यय ₹ 14,323 करोड़ था जो ₹ 3,821 करोड़ बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 18,144 करोड़ हो गया तथा यह राजस्व व्यय (₹ 32,859 करोड़) का 55 प्रतिशत तथा राजस्व प्राप्तियों का (₹ 32,050 करोड़) का 57 प्रतिशत था। घटकवार विश्लेषण अनुवर्ती कंडिका में दिया गया है।

वेतन एवं मजदूरी पर व्यय

- चालू वर्ष के दौरान वेतन एवं मजदूरी पर व्यय 2012-13 में ₹ 7,687 करोड़ से ₹ 1,450 करोड़ बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 9,137 करोड़ हो गया। सहायता अनुदान[11] के माध्यम से वेतन भुगतान 2012-13 में ₹ 1,280 करोड़ से ₹ 469 करोड़ बढ़कर 2013-14 में ₹ 1,749 करोड़ हो गया।

- वर्ष 2013-14 के दौरान वेतन एवं मजदूरी पर व्यय राज्य शासन द्वारा अपने बजट अनुमान (₹ 10,382 करोड़) में किए गए आंकलन से 12 प्रतिशत (₹ 1,245 करोड़) कम था।

- वर्ष 2013-14 के दौरान वेतन एवं मजदूरी पर राजस्व व्यय (₹ 8,431 करोड़) एफआरबीएम अधिनियम (₹ 6,951 करोड़) में बनाए गए प्रावधान से 21 प्रतिशत (₹ 1,480 करोड़) अधिक हुआ।

- वर्ष 2013-14 में आयोजनेत्तर वेतन पर व्यय (₹ 6,102 करोड़), तेरहवें वित्त आयोग के अनुमान (₹ 4,578 करोड़) से 33 प्रतिशत (₹ 1,524 करोड़) अधिक हुआ था।

पेंशन पर व्यय

- पेंशन पर व्यय 2012-13 में ₹ 2,412 करोड़ से 14 प्रतिशत (₹ 340 करोड़) बढ़कर 2013-14 में ₹ 2,752 करोड़ हो गया।

- पेंशनरों की संख्या का विवरण जो कोषालय/बैंक/विभागीय प्राधिकार से आहरण कर रहे हों, जैसा कि राज्य शासन द्वारा सूचित किया गया है, निम्नानुसार है।

तालिका 1.16 वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान पेंशनरों का विवरण

पेंशनरों की श्रेणी	31 मार्च 2013 की स्थिति में कुल पेंशनरों की संख्या	31 मार्च 2014 की स्थिति में कुल पेंशनरों की संख्या	पेंशनरों की संख्या में वृद्धि (+)/कमी (-)	प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
अधिवार्षिकी पेंशनर	48,919	50,077	(+) 1,158	(+)0.02
परिवार पेंशनर	28,974	16,866	(-)12,108	(-) 42
भूतपूर्व विधायक	229	78	(-) 151	(-) 66
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश	18	10	(-) 08	(-) 44
योग	**78,140**	**67,031**[12]	**(-) 11,109**	**(-) 14**

[11] शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति, कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियाँ एवं ग्रामीण विकास के अर्न्तगत विभिन्न संस्थाओं को सहायता अनुदान के माध्यम से दिया गया वेतन भत्ता शामिल है।

[12] यह जानकारी राज्य के कुल 28 कोषालयों में से मात्र 23 के संबंध में ही है।

- पेंशन पर व्यय (₹ 2,751.87 करोड़) कुल राजस्व व्यय (₹ 32,859.57 करोड़) का आठ प्रतिशत था तथा आयोजनेत्तर राजस्व व्यय (₹ 19,109.81 करोड़) का 14 प्रतिशत था और कुल राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 32,050.26 करोड़) का 09 प्रतिशत उपभोग किया।

- 2013-14 के दौरान पेंशन पर व्यय राज्य शासन द्वारा अपने बजट अनुमान (₹ 2,504.70 करोड़) में घोषित लक्ष्य से 10 प्रतिशत (₹ 247 करोड़) अधिक था।

- तेरहवें वित्त आयोग द्वारा बनाये गये अनुमान के अनुसार 2013-14 के अन्त तक पेंशन पर व्यय ₹ 1,310 करोड़ होना था। यद्यपि 2013-14 के दौरान पेंशन पर वास्तविक व्यय ₹ 2,752 करोड़ हुआ था जो तेरहवें वित्त आयोग मापदण्ड से ₹ 1,442 करोड़ अधिक था।

ब्याज भुगतान

- ब्याज भुगतान जिसमें आंतरिक ऋण पर भारित ब्याज, लघु बचत, भविष्य निधि भारत सरकार से लिया गया ऋण तथा अन्य देयतायें शामिल है, वर्ष 2012-13 में ₹ 1,153.49 करोड़ से अत्यल्प रूप से 17 प्रतिशत (₹ 197.04 करोड़) बढ़कर 2013-14 में ₹ 1,350.53 करोड़ हो गया।

- 2013-14 के लिए ब्याज भुगतान (₹ 1,351 करोड़) 13वें वित्त आयोग (₹ 2,453 करोड़) के द्वारा बनाये गये अनुमान के अन्दर था परन्तु राज्य शासन द्वारा अपने बजट अनुमान में आंकलित लक्ष्य और एफआरबीएम प्रकटीकरण (₹ 1,246 करोड़) से ₹ 105 करोड़ (आठ प्रतिशत) अधिक था। वर्ष के दौरान ब्याज भुगतान कुल राजस्व व्यय का 4.11 प्रतिशत तथा राजस्व प्राप्तियों का 4.22 प्रतिशत था।

आर्थिक सहायता पर व्यय

- 2013-14 के दौरान, छत्तीसगढ़ शासन ने आर्थिक सहायता के रूप में ₹ 3,155.53 करोड़ का भुगतान किया।

2009-14 के दौरान राज्य शासन द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायता का विवरण **तालिका 1.17** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.17 वर्ष 2009-14 के दौरान शासन द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायता का विवरण

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6
सामाजिक कल्याण एवं पोषण	1,288.78	886.73	950.51	722.30	1,754.23
कृषि	41.00	40.07	46.36	75.45	300.45
मत्स्य पालन	0.47	0.75	0.60	1.30	1.36
वानिकी एवं वन्य जीव	10.00	10.00	8.10	15.05	15.03
खाद्य भंडारण एवं भंडारागार	406.61	488.65	383.67	395.24	463.71
सहकारिता	46.00	83.07	95.32	103.14	111.85

1	2	3	4	5	6
लघु सिंचाई	10.62	11.01	10.88	0.00	0.00
उर्जा	150.10	202.10	321.10	426.13	443.76
ग्रामीण एवं लघु उद्योग	39.26	37.71	52.52	44.27	41.61
उद्योग	1.46	3.72	1.87	7.95	20.41
प्रशासनिक सेवाएं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
ग्रामीण विकास	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73
योग	**1,994.30**	**1,763.81**	**1,870.93**	**1,790.83**	**3,155.53**

(स्रोतः सम्बंधित वर्षों का वित्त लेखे)

- **तालिका 1.17** से यह स्पष्ट है कि आर्थिक सहायता पर व्यय 2012-13 में ₹ 1,791 करोड़ से ₹ 1,365 करोड़ बढ़कर 2013-14 में ₹ 3,156 करोड़ हो गया। 2013-14 के दौरान आर्थिक सहायता पर व्यय कुल राजस्व प्राप्तियों का 10 प्रतिशत तथा कुल राजस्व व्यय का भी 10 प्रतिशत था। इस वर्ष के दौरान आर्थिक सहायता के भुगतान का मुख्य घटक सामाजिक कल्याण एवं पोषण (₹ 1,754 करोड़), खाद्य भण्डारण एवं भंडारागार (₹ 464 करोड़) और उर्जा (₹ 444 करोड़) था।

- वर्ष 2013-14 के दौरान शासन ने ₹ 1,742.61 करोड़ की आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना पर व्यय किया। इस योजना पर आर्थिक सहायता व्यय में ₹ 1,026.15 करोड़ की वृद्धि हुई जो पिछले वर्ष की तुलना में 143 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करता है।

- सहायता अनुदान के लागत पर (वस्तु के रूप में) मुफ्त में अप्रत्यक्ष आर्थिक सहायता **तालिका 1.18** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.18 वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये अप्रत्यक्ष आर्थिक सहायता का विस्तृत विवरण

(₹ करोड़ में)

विभाग का नाम	योजना का नाम	कुल
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण	निःशुल्क नमक प्रदाय योजना	7.00
स्कूल शिक्षा	छात्रों को निःशुल्क शाला गणवेश प्रदाय	39.87
स्कूल शिक्षा	अनुसूचित जनजाति प्राथमिक छात्राओं को निःशुल्क शाला गणवेश प्रदाय	27.12
स्कूल शिक्षा	अनुसूचित जाति प्राथमिक छात्राओं को निःशुल्क शाला गणवेश प्रदाय	3.35
स्कूल शिक्षा	हाईस्कूल की छात्राओं को निःशुल्क सायकल प्रदाय	48.30
संचार	छात्रों को निःशुल्क लैपटॉप एवं टैबलेट का प्रदाय	28.00
कृषि	वनग्रामों के पट्टाधारी कृषक को निःशुल्क प्रमार्णित बीज एवं उर्वरक वितरण	8.40
स्कूल शिक्षा	निःशुल्क शालेए पुस्तकों का प्रदाय	66.19
	योग	**228.23**

(स्रोतः वित्त लेखे 2013-14 का विवरण संख्या 8)

तालिका 1.18 से यह स्पष्ट है कि 2013-14 के दौरान शासन ने निःशुल्क पुस्तकें, स्कूल गणवेश, सायकल, लैपटाप एवं टैबलेट, विद्युत, कृषि पम्प, बीज, उर्वरक, चावल एवं नमक लक्षित हितग्राहियों को प्रदान करने के लिए ₹ 228 करोड़ का व्यय किया।

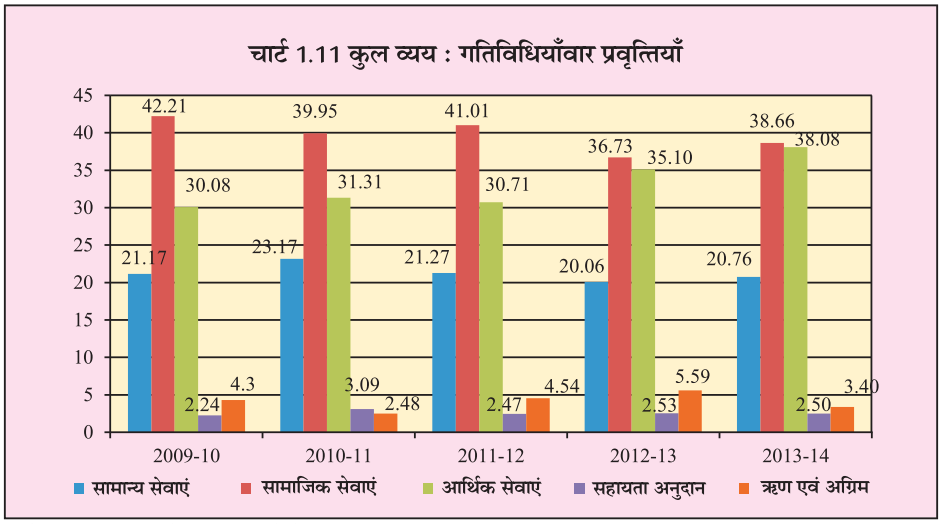
1.6.4 पूंजीगत व्यय

- पिछले वर्ष की तुलना में 2013-14 के दौरान पूंजीगत व्यय में सात प्रतिशत (₹ 345 करोड़) की कमी हुई जिसका कारण मुख्यतः विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय (में 97 प्रतिशत), शहरी विकास (में 84 प्रतिशत) तथा जलापूर्ति एवं सफाई (में 66 प्रतिशत) में व्यय की कमी थी।
- पूंजीगत परिव्यय और अंतर्राज्यीय समाशोधन सहित ऋण एवं अग्रिम कुल व्यय का क्रमशः 12 प्रतिशत तथा तीन प्रतिशत था।

1.6.5 गतिविधियों के दृष्टिकोण से व्यय की प्रवृत्ति

गतिविधियों के परिपेक्ष्य में कुल व्यय में सामान्य सेवाओं (ब्याज भुगतान सहित), सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं, सहायता अनुदान तथा ऋण एवं अग्रिम पर किया गया व्यय सम्मिलित किया जा सकता है। कुल व्यय में इन घटकों के सापेक्षिक हिस्सेदारी में होने वाली अंतर विविधाताओं को **चार्ट 1.11** में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट 1.11 कुल व्यय : गतिविधियाँवार प्रवृत्तियाँ



(स्रोतः सम्बंधित वर्षों का वित्त लेखे)

- सामान्य सेवाओं पर व्यय का प्रतिशत 2012-13 में 20.06 प्रतिशत से अत्यल्प रूप से बढ़कर 2013-14 में 20.76 प्रतिशत हो गया। सामाजिक सेवाओं पर व्यय का प्रतिशत 2012-13 में 36.73 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 में 38.66 प्रतिशत हो गया जबकि आर्थिक सेवाओं के सम्बंध में यह उसी अवधि के दौरान 35.10 प्रतिशत से बढ़कर 38.08 प्रतिशत हो गया।
- सहायक अनुदान पर व्यय का प्रतिशत 2012-13 में 2.53 प्रतिशत में अत्यल्प रूप से कम होकर 2013-14 में 2.50 प्रतिशत हो गया जबकि ऋण एवं अग्रिम उसी अवधि के दौरान 5.59 प्रतिशत से घटकर 3.40 प्रतिशत हो गया।

1.6.6 राज्य शासन द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

विगत एवं चालू वर्ष के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओ को अनुदानों तथा ऋणों के रूप में प्रदत्त वित्तीय सहायता की मात्रा **तालिका 1.19** में दर्शायी गई है।

तालिका 1.19 स्थानीय निकायों इत्यादि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
शैक्षणिक संस्थायें (सहायता प्राप्त स्कूल, सहायता प्राप्त महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि)	83.90	144.82	163.07	223.27	242.42
विद्युत/उर्जा	65.05	101.05	149.56	672.81	254.67
कृषि	26.50	37.50	56.50	71.00	77.39
स्थानीय नगरीय निकाय	577.71	905.50	1,268.53	2,055.21	2,002.56
पंचायती राज संस्थायें	1,520.71	1,835.92	2,811.71	3,897.95	4,954.99
अन्य संस्थायें	478.25	376.43	158.21	123.61	118.70
योग	**2,752.12**	**3,401.22**	**4,607.58**	**7,043.85**	**7,650.73**
राजस्व व्यय	17,265	19,355	22,628	26,972	32,859
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सहायता	15.94	17.57	20.36	26.12	23.28

(स्रोतः वित्त एवं विनियोग लेखे)

तालिका 1.19 से यह स्पष्ट है कि स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं[13] को वित्तीय सहायता 2009-10 में ₹ 2,752 करोड़ से अनवरत रूप से बढ़कर 2013-14 में ₹ 7,651 करोड़ हो गई। पिछले वर्ष की तुलना में 2013-14 में स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता में नौ प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2013-14 के दौरान, शासन द्वारा वित्तीय सहायता मुख्यतः पंचायती राज संस्थाओं (65 प्रतिशत) एवं स्थानीय नगरीय निकायों (26 प्रतिशत) को दिया गया था।

1.7 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक एवं भौतिक अधोसंरचना की उपलब्धता सामान्य रूप से उनके व्यय की गुणवत्ता को प्रतिबिम्बित करती है। व्यय की गुणवत्ता के सुधार में मुख्यतः तीन पक्ष शामिल हैं जैसे व्यय की पर्याप्तता (अर्थात जन सेवा उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त प्रावधान), व्यय के उपयोग की कुशलता तथा इसकी प्रभावकारिता (चयनित सेवाओं हेतु परिव्यय परिणाम के संबंधों का आंकलन)।

1.7.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित उत्तरदायित्व जिसे राज्य शासन को सौंपा गया है मुख्यतः राज्य के विषय हैं। मानव विकास के स्तरों के उन्नयन के लिए यह आवश्यक है कि राज्य मुख्य सामाजिक सेवाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर अपने व्यय में बढ़ोत्तरी करे। किसी क्षेत्र विशेष को निम्न राजकोषीय प्राथमिकता (किसी श्रेणी के अंतर्गत व्यय का समग्र व्यय के सापेक्ष अनुदान) दी जाती है, यदि यह संबंधित सामान्य श्रेणी के राज्य के औसत से कम है।

[13] शिक्षा संस्थाओं, ऊर्जा/कृषि, सहकारीता, अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान।

वर्ष 2010-11 को आधार वर्ष रखते हुए वर्ष 2013-14 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र व्यय तथा पूंजीगत व्यय के परिपेक्ष्य में राज्य शासन के राजकोषीय प्राथमिकता की समीक्षा **तालिका 1.20** में की गई है।

तालिका 1.20 वर्ष 2010-11 एवं 2013-14 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता	एई/जीएसडीपी	डीई/एइ	एसएसई/एई	सीई/एई	शिक्षा/एई	स्वास्थ्य/एई
औसत (अनुपात) 2010-11 का						
सामान्य श्रेणी राज्य	15.78	65.09	36.88	13.49	17.48	4.37
छत्तीसगढ़	17.64	73.69	40.23	15.39	19.17	3.70
औसत (अनुपात) 2013-14 का						
सामान्य श्रेणी राज्य	15.92	66.45	37.56	13.62	17.20	4.51
छत्तीसगढ़	20.94	76.73	38.65	11.80	18.32	4.01

एईः कुल व्यय, डीई-विकास व्यय, एसएसईः सामाजिक क्षेत्र व्यय, सीईः पूंजीगत व्यय
विकास व्यय के अंतर्गत विकासात्मक राजस्व व्यय, विकासात्मक पूंजीगत व्यय एवं वितरित विकासात्मक ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है।

- छत्तीसगढ़ शासन ने कुल व्यय के रूप में अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद का, औसत सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में वर्ष 2010-11 एवं 2013-14 में अनुपातिक रूप से अधिक खर्च किया।
- वर्ष 2010-11 एवं 2013-14 के दौरान छत्तीसगढ़ में समग्र व्यय के अनुपात के रूप में विकास व्यय के साथ-साथ सामाजिक क्षेत्र का व्यय का अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से अधिक था।
- 2010-11 के दौरान छत्तीसगढ़ में समग्र व्यय का पूंजीगत व्यय के साथ अनुपात सामान्य श्रेणी राज्यों के औसत की तुलना में अधिक था लेकिन यह 2013-14 में कम था।
- यद्यपि वर्ष 2010-11 एवं 2013-14 में राज्य ने सामान्य श्रेणी राज्यों के औसत की तुलना में शिक्षा क्षेत्र को ज्यादा प्राथमिकता दिया है तथापि वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2013-14 में सकल व्यय के व्यय का अनुपात कम हुआ है।

वर्ष 2010-11 एवं 2013-14 में राज्य ने सामान्य श्रेणी राज्यों के औसत की तुलना में स्वास्थ्य क्षेत्र को कम प्राथमिकता दिया गया।

1.7.2 व्यय के उपयोग की कुशलता

सामाजिक एवं आर्थिक विकास के परिपेक्ष्य में विकास शीर्षों पर लोक व्यय की महता की दृष्टि से, राज्य शासन के लिए यह महत्वपूर्ण है कि व्यय को तर्कसंगत बनाने के

लिए समुचित उपाय करे एवं अतिआवश्यक लोक एवं महत्व की वस्तुओं[14] के लिए प्रावधान पर बल दे। विकास व्यय[15] के आवंटन में सुधार के अतिरिक्त विशेषकर अभी पिछले कुछ वर्षों में ऋण अदायगी/भुगतान में गिरावट के कारण राजकोषीय रिक्तता की दृष्टि से व्यय के उपयोग में कुशलता, कुल व्यय और/अथवा जीएसडीपी से पूंजीगत व्यय के अनुपात परिलक्षित होता है एवं राजस्व पर व्यय का अंश विद्यमान सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के संचालन एवं रखरखाव पर व्यय किया जा रहा है। कुल व्यय (या जीएसडीपी) से इन घटकों का जितना उच्च अनुपात होगा, उतनी बेहतर व्यय की गुणवत्ता होगी ।

तालिका 1.21 विगत वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान राज्य का सकल व्यय के सापेक्ष में विकास व्यय की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है।

तालिका 1.21 विकास व्यय

(₹ करोड़ में)

विकास व्यय के घटक	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**
विकास राजस्व व्यय	12,447 (60)	13,401 (59)	16,037 (57)	19,468 (58)	24,038 (62)
विकास पूंजीगत व्यय	2,668 (13)	2,899 (13)	4,014 (15)	4,794 (14)	4,392 (11)
विकास ऋण एवं अग्रिम	887 (04)	557 (02)	1,259 (05)	1,882 (06)	1,309 (03)
कुल विकास व्यय	**16,002** ***(77)***	**16,857** ***(73)***	**21,310** ***(76)***	**26,144** ***(77)***	**29,739** ***(77)***
सकल व्यय (आरई+सीई+एल और ए)	20,910	22,876	27,957	33,779	38,757
कोष्टक में दिये गये आंकड़े कुल व्यय का प्रतिशत दर्शाता है।					

(स्रोतः वित्त लेखे)

- **तालिका 1.21** से यह देखा जा सकता है कि विकास व्यय जिसमें सामाजिक आर्थिक सेवाओं के लिए राजस्व एवं पूंजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है, 2009-10 में ₹ 16,002 करोड़ से बढ़कर 2013-14 में ₹ 29,739 करोड़ हो गई।

[14] मुख्य जन सामग्री सभी नागरिक जिसका सार्वजनिक उपयोग करते हो, इस अर्थ में कि प्रत्येक व्यक्ति के ऐसे सामग्री के उपयोग से अन्य किसी व्यक्ति के उस सामग्री के उपभोग में कोई कमी नहीं आती है उदाहरण के लिए कानून एवं व्यवस्था लागू करना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा एवं बचाव, प्रदूषण मुक्त हवा एवं वातावरण से संबंधित अन्य सामग्री एवं सड़क अद्योसंरचना इत्यादि। उच्चगुणवत्ता सामग्री उपयोग वस्तु है जिसे सार्वजनिक क्षेत्र निःशुल्क अथवा सस्ते दरों पर उपलब्ध करता है क्योंकि एक व्यक्ति या समाज के पास, सरकार को अदायगी की सम्मति एवं सामर्थ्य के बजाय कुछ जरूरत के विचार से उपलब्ध होना चाहिए एवं इसलिए उनके खपत को प्रोत्साहित करने की इच्छा करता है। ऐसे सामग्रियों के उदाहरण में पोषण आहार में सहायता हेतु गरीबो के लिए सस्ते या मुफ्त भोजन प्रावधान, जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना एवं रूग्णता को कम करने, सभी के लिए बुनियादी शिक्षा पेयजल एवं स्वच्छता आदि मुहैया कराना है।

[15] व्यय के आंकड़ों के विश्लेषण से विकास एवं गैर विकास व्यय को पृथक किया जाता है। राजस्व लेखे पूंजीगत व्यय एवं ऋणों तथा अग्रिमों से संबंधित सभी व्यय को सामाजिक सेवाएं, आर्थिक सेवाएं एवं सामान्य सेवाएं की श्रेणीयों में स्थापित करता है। स्पष्टतः सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं विकास व्यय को स्थापित करता है जबकि सामान्य सेवाओं पर व्यय गैर विकास व्यय के रूप में व्यवहार किया जाता है।

- वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान सकल व्यय के प्रतिशत के रूप में विकास व्यय में अस्थिर प्रवृत्ति देखा गया जो 73 प्रतिशत से 77 प्रतिशत के मध्य था।

- पिछले वर्ष की तुलना में 2013-14 के दौरान कुल विकास व्यय में ₹ 3,595 करोड़ (14 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जिसका कारण विकास राजस्व व्यय में ₹ 4,570 करोड़ (23 प्रतिशत) की वृद्धि था। यद्यपि, विकास पूंजीगत व्यय में ₹ 402 करोड़ (आठ प्रतिशत) तथा ऋण एवं अग्रिमों में ₹ 573 करोड़ (30 प्रतिशत) की कमी देखी गई।

1.7.3 चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय

तालिका 1.22 पूंजीगत व्यय तथा राजस्व व्यय के घटक जो चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के संधारण पर व्यय के विवरण को प्रदर्शित करता है।

तालिका 1.22 चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में व्यय के उपयोग की कुशलता

(प्रतिशत में)

सामाजिक/आर्थिक अद्योसंरचना	2012-13			2013-14		
	सीई का टीई से अनुपात	राजस्व व्यय के अंश में		सीई का टीई से अनुपात	राजस्व व्यय के अंश में	
		अनुरक्षण	वेतन एवं मजदूरी		अनुरक्षण	वेतन एवं मजदूरी
सामाजिक सेवाएं (एस एस)						
कुल सामाजिक सेवाएं जिनमें	2.81	1.69	34.82	1.79	2.23	33.34
सामान्य शिक्षा	0.51	1.70	36.71	0.65	1.35	44.78
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.51	0.66	62.42	0.33	0.66	62.14
जल आपूर्ति, स्वच्छता एवं आवास एवं शहरी विकास	1.23	2.88	9.85	0.22	4.06	10.76
आर्थिक सेवाएं (इ एस)						
कुल सामाजिक सेवाएं जिनमें	11.38	5.46	21.00	9.55	6.18	18.72
कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप	0.25	1.22	29.18	0.23	0.76	21.70
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	4.90	6.70	73.39	4.35	5.50	75.55

(स्रोतः वित्त लेखा)

टीईः संबंधित क्षेत्र में कुल व्यय; सीईः संबंधित क्षेत्र में पूंजीगत व्यय;

तालिका 1.22 से विदित है कि;

- कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय का हिस्सा 2012-13 में 2.81 प्रतिशत से घटकर 2013-14 में 1.79 प्रतिशत हो गया जिसका कारण सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय, 2012-13 में ₹ 950.62 करोड़ से घटकर 2013-14 में ₹ 691.96 करोड़ हो गया।

- जबकि सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत राजस्व व्यय में वेतन पर व्यय का अंश 34.82 प्रतिशत से घटकर 33.34 प्रतिशत हो गया तथापि वर्ष 2013-14 के दौरान संधारण व्यय 1.69 प्रतिशत से 2.23 प्रतिशत हो गया।

- कुल व्यय में आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय का हिस्सा 2012-13 में 11.38 प्रतिशत से घटकर 2013-14 में 9.55 प्रतिशत हो गया जिसके कारण आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय 2012-13 में ₹ 3,843.34 करोड़ से घटकर 2013-14 मे ₹ 3,699.81 करोड़ हो गया।

- आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय के अंतर्गत वेतन का हिस्सा 21 प्रतिशत से घटकर 18.72 प्रतिशत हो गया जबकि इस वर्ष के दौरान उसका संधारण व्यय क्रमशः 5.46 प्रतिशत के बढ़कर 6.18 प्रतिशत हो गया।

1.8 शासकीय व्यय एवं निवेश का वित्तीय विश्लेषण

राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम में राज्य से यह अपेक्षित है कि वह न केवल अपना राजकोषीय घाटे (एवं उधारियों) को न्यूनतम स्तर पर बनाये रखे अपितु पूंजीगत व्यय/निवेश (ऋणों एवं अग्रिमों सहित) संबंधित आवश्यकताओं को प्राप्त करे। इसके अतिरिक्त, बाजार आधारित संसाधानों पर पूर्ण निर्भरता की स्थिति में परिवर्तन के लिए राज्य शासन को अपने निवेश पर पर्याप्त प्रतिफल उपार्जित करने हेतु एवं उधार ली गई निधियों की लागत का भार आर्थिक सहायता के रूप में अपने बजट पर रखने के बजाय इसकी वसूली के लिए पहल करना चाहिए एवं वित्तीय संचालनों में पारदर्शिता लाने के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए। यह खण्ड विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान शासन द्वारा किये गये निवेश एवं अन्य पूंजीगत व्यय का यह अनुभाग विस्तृत वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

1.8.1 अपूर्ण परियोजनाएं

परियोजनाओं की विभागवार जानकारी (जिसकी लागत ₹ 10 करोड़ एवं उससे अधिक है) जो 31 मार्च 2014 तक पूर्ण होना नियत की गई थी, **तालिका 1.23** में दर्शाई गई है।

तालिका 1.23 विभागावार अपूर्ण परियोजनाओं की रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं			
	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	प्राकलित लागत के पुनरीक्षण के पश्चात् अपूर्ण परियोजनाओं की कुल लागत	31 मार्च 2014 को संचयी व्यय
लोक निर्माण	40	996.33	1,136.78	765.32
जल संसाधन	126	8,170.53	9,396.63	3,432.48
योग	**166**	**9,166.86**	**10,533.41**	**4,197.80**

(स्रोतः वित्त लेखे 2013-14)

अपूर्ण निर्माण कार्य पर निधियों का अवरोधन नाकारात्मक रूप से व्यय की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। सभी 166 परियोजनाओं (अनुमानित लागत ₹ 9,166.86 करोड़) को 31 मार्च 2014 तक पूर्ण किया जाना था, परन्तु उनके अपूर्ण रहने के परिणामस्वरूप इन कार्यो पर व्यय राशि ₹ 4,197.80 करोड़ अवरूद्ध हो गई। परियोजना के निर्माण कार्य के पूर्णता में विलंब से लागत वृद्धि का जोखिम बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त इन परियोजनाओं के पूर्णता में विलंब के कारण परियोजनाओं से नियत लाभ प्राप्त नहीं किये जा सके।

1.8.2 निवेश एवं प्रतिफल

31 मार्च 2014 की स्थिति में, शासन ने ₹ 1,866.44 करोड़ सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, ग्रामीण बैंको, संयुक्त पूंजी (स्टाक) कम्पनियों एवं सहकारी

समितियों एवं स्थानीय निकाय में निवेश किया (**तालिका 1.24**)। वर्ष 2013-14 के दौरान इस निवेश पर औसत प्रतिफल 0.76 प्रतिशत था जबकि शासन ने उधारियों पर 6.12 प्रतिशत का औसत ब्याज का भुगतान किया। निवेश से प्रतिफल नगण्य था। उधार ली गई निधियों का ऐसे निवेश जिनका उचित प्रतिफल प्राप्त नहीं होता है, में निरन्तर निवेश से असंतुलित वित्तीय स्थिति उत्पन्न होगी। शासन उच्च लागत निधियों मे निवेश हेतु उचित उपाय सुनिश्चित करे।

तालिका 1.24 निवेश पर प्रतिफल

निवेश/प्रतिफल/उधार की लागत	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
वर्ष के अन्त में निवेश (₹ करोड़ में)	251.67	259.92	1,194.38	1,916.18	1,866.44
निवेश पर प्रतिफल (₹ करोड़ में)	0.44	4.30	0.46	2.19	14.21
निवेश पर प्रतिफल (प्रतिशत)	0.17	1.65	0.04	0.11	0.76
शासकीय उधार पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	7.13	7.34	7.08	6.34	6.12
ब्याज दर एवं प्रतिफल के बीच अन्तर (प्रतिशत)	6.96	5.69	7.04	6.23	5.36

(वर्ष के अंत में निवेश मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के बीच में अविभाजित निवेश को शामिल नहीं करता है।)

वर्ष 2013-14 तक निवेशित ₹ 1,866.44 करोड़ में से ₹ 1,662.49 करोड़ शासकीय कम्पनी, ₹ 146.62 करोड़ सहकारी संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों में, ₹ 30.42 करोड़ सांविधिक निगमों में, ₹ 24.31 करोड़ ग्रामीण बैकों में तथा ₹ 2.60 करोड़ संयुक्त स्टॉक कम्पनियों में निवेश किया गया।

1.8.3 राज्य शासन द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों एवं कंपनियों में निवेशों के अतिरिक्त, शासन इनमें से बहुत से संस्थाओं/संगठनों को भी ऋण तथा अग्रिम प्रदाय करती रही है। 31 मार्च 2014 की स्थिति में बकाया ऋणों एवं अग्रिमों एवं विगत तीन वर्षों के दौरान ब्याज भुगतान की तुलना में ब्याज प्राप्तियों का विवरण **तालिका 1.25** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.25 राज्य शासन द्वारा दिये गये कर्ज पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

ऋणों की प्रमात्रा/ब्याज प्राप्तियां/उधारियों की लागत	2011-12	2012-13	2013-14
प्रांरभिक शेष	1,535.64	1,517.88	1,864.72[16]
वर्ष के दौरान दी गई अग्रिम	1,268.74	1,888.79	1,318.53
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान राशि	1,282.53	1,542.01	1,637.27
अंतशेष	**1,521.85**	**1,864.66**	**1,545.99**
ऐसे बकाया शेष जिसके लिए शर्तें तय कर ली गई है	1,094.48	1,864.66	1,544.99
निबल वृद्धि	(-)13.79	342.78	(-) 318.74
ब्याज प्राप्तियां	62.79	8.27	274.43
बकाया ऋणों तथा अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में ब्याज प्राप्ति	4.11	0.44	17.75
राज्य शासन के बकाया राजकोषीय देनदारीयों से ब्याज भुगतान का प्रतिशत	7.08	6.34	6.12
ब्याज प्राप्तियाँ एवं ब्याज भुगतान में अन्तर (प्रतिशत)	(-)2.97	(-) 5.90	11.63

(स्त्रोतः वित्त लेखे)

[16] वित्त लेखे में प्रोफर्मा समायोजन के कारण प्रारंभिक शेष बदल गया।

मार्च 2014 की स्थिति में शासन के ₹ 1,545.99 करोड़ के ऋण तथा अग्रिम बकाया थे जिसमें से ₹ 162.69 करोड़, ₹ 860.60 करोड़ एवं ₹ 532.39 करोड़ क्रमशः सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण थे। बकाया ऋण तथा अग्रिमों का समायोजन सरकारी कर्मचारियों से ₹ 9.69 करोड़ ऋण एवं अग्रिमों की वसूली कर किया गया। इन ऋणों एवं अग्रिमों के विरूद्ध प्राप्त ब्याज पिछले वर्ष 0.44 प्रतिशत (₹ आठ करोड़) के विरूद्ध 2013-14 में 17.75 प्रतिशत (₹ 274 करोड़) था।

1.8.4 रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

रोकड़ शेष तथा वर्ष के दौरान राज्य शासन द्वारा किये निवेश को **तालिका 1.26** में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 1.26 रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

(₹ करोड में)

	1 अप्रैल 2013 की स्थिति में प्रारंभिक शेष	31 मार्च 2014 की स्थिति में अंतिम शेष
(अ) सामान्य रोकड़ शेष		
(1) कोषालय में रोकड़	0.00	0.00
(2) रिजर्व बैंक में जमा	(-)1,767.11	(-) 46.71
(3) मार्गस्थ प्रेषण	0.00	0.00
कुल (1 + 2 + 3)	**(-)1,767.11**	**(-) 46.71**
(4) ''रोकड़ शेष निवेश लेखा'' में किया गया निवेश	2,619.56	1,527.49
योग (अ) सामान्य रोकड़ शेष (1 + 2 + 3 + 4)	852.45	1,480.78
(ब) अन्य रोकड़ शेष और निवेश		
(1) विभागीय अधिकारियों जैसे वन तथा लोक निर्माण विभाग, राज्यपाल के सैनिक सचिव के पास रोकड़	116.56	9.63
(2) विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी पेशगी राशियां	0.31	0.31
(3) विशिष्ट उद्देश्य हेतु निधियों का निवेश	1,147.62	1,244.57
कुल (ब) अन्य रोकड़ शेष और निवेश (1 + 2 + 3)	**1,264.49**	**1,254.51**
कुल (अ) तथा (ब)	**2,116.94**	**2,735.29**

(स्त्रोतः वित्त लेखे 2013-14)

वर्ष के अंत में राज्य का रोकड़ शेष ₹ 2,735 करोड़ था, जो विगत वर्ष की तुलना में 29 प्रतिशत अधिक था। वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 3,000 करोड़ के बाजार ऋण लेने के कारण मुख्यतः अतिरिक्त रोकड़ शेष रहा।

भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे जाने वाले ₹ 0.72 करोड़ के न्यूनतम आवश्यक रोकड़ शेष को शासन ने बनाये रखा। राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर अतिरिक्त रोकड़ शेष को शासन के द्वारा शासकीय कोषालय देयकों तथा प्रतिभूतियों की अल्पनिधि जमा में निवेश किया गया एवं वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 97.80 करोड़ ब्याज अर्जित किया गया जो कि विगत वर्ष की तुलना में ₹ 36.76 करोड़ कम था।

1.9 परिसम्पत्तियां एवं दायित्व

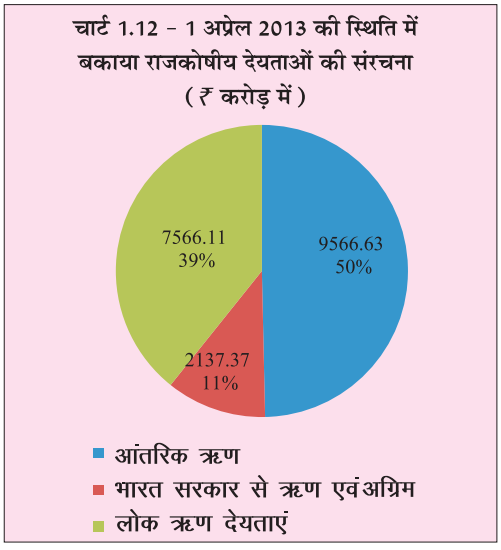
1.9.1 परिसम्पत्तियां एवं दायित्वों का वृद्धि तथा घटक

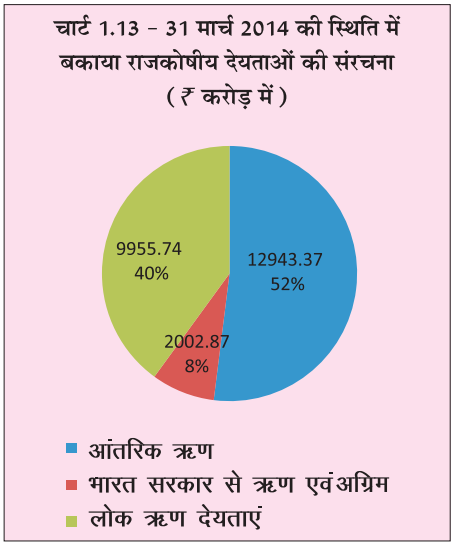
प्रचलित शासकीय लेखा प्रणाली में सरकार के स्वामित्व वाली अचल परिसम्पत्तियों जैसे भूमि और भवन का व्यापक लेखांकन नहीं किया जाता है। तथापि, सरकारी लेखे सरकार के वित्तीय दायित्वों तथा किये गये व्यय द्वारा सृजित परिसम्पतियों को समाहित करते हैं। 31 मार्च 2013, की समरूप स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2014 को ऐसे दायित्वों एवं परिसम्पत्तियों के सार को **परिशिष्ट 1.4 (भाग-ब)** प्रस्तुत करता है जबकि **परिशिष्ट 1.4 (भाग-ब)** के दायित्वों में, मुख्य रूप से आंतरिक उधारियां, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखे एवं आरक्षित निधियों से प्राप्तियां सम्मिलित हैं, परिसम्पत्तियों में मुख्य रूप से पूंजीगत व्यय, राज्य शासन द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम तथा रोकड़ शेष सम्मिलित हैं।

दायित्वों का वृद्धि दर वर्ष 2012-13 के 12.80 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 में 28.04 प्रतिशत हो गया एवं इसी अवधि में परिसम्पत्तियों का वृद्धि दर 16.92 प्रतिशत से घटकर 14.54 प्रतिशत हो गया।

1.9.2 राजकोषीय दायित्व

दायित्वों की प्रवृत्तियों को **परिशिष्ट - *1.4*** में प्रस्तुत किया गया है तथा गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान राजकोषीय दायित्वों की घटक **चार्ट 1.12** एवं **1.13** में प्रस्तुत है।





दायित्व दो प्रकार के है लोक ऋण एवं अन्य दायित्व। लोक ऋण राज्य के आंतरिक ऋण से निर्मित है जिसे समेकित निधि के अधीन पूंजीगत लेखा के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरणियों में प्रतिवेदित की जाती है। इसमें बाजार ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक के

लिए जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों एवं भारत सरकार से लिए गये ऋण एवं अग्रिम शामिल है। भारत के संविधान में वर्णित है कि राज्य, भारत की सीमा के अन्दर समेकित निधि की प्रतिभूति पर उस सीमा तक जितना की समय-समय पर विधान मंडल द्वारा पारित कानून के द्वारा निर्धारित किया गया है गारंटी दे सकता है। अन्य दायित्व अथवा राजकोषीय दायित्व जो लोक लेखे का हिस्सा है अल्प बचत योजना, भविष्य निधियां एवं अन्य जमा के तहत सम्मिलित है।

विगत वर्ष के तुलना में जहाँ आंतरिक ऋण राजकोषीय दायित्व का 50 प्रतिशत से मामूली रूप से बढ़कर 52 प्रतिशत हुआ वहीं लोक लेखा दायित्व भी मामूली रूप से बढ़कर 39 प्रतिशत से 40 प्रतिशत हुआ। यद्यपि, भारत सरकार से बकाया ऋण एवं अग्रिम 2012-13 के 11 प्रतिशत से घटकर 2013-14 में आठ प्रतिशत हो गया।

राज्य का राजकोषीय दायित्व इन दायित्वों का सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं राजस्व प्राप्तियों का अनुपात को **तालिका-1.27** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.27 राजकोषीय देयता आधारभूत मानक

	2009-10	2010-11	2011-12[17]	2012-13	2013-14
राजकोषीय देयतायें (₹ करोड़ में)	15,937	16,581	17,103	19,268	24,902
राजकोषीय देयताओ का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	7.79	4.06	3.15	12.66	29.24
राजकोषीय देयतायें/जीएसडीपी (प्रतिशत में)	16.10	13.88	11.85	11.79	13.46
राजकोषीय देयतायें/राजस्व प्राप्तियां (प्रतिशत में)	87.77	72.98	66.11	65.14	77.70
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	**99,364**	**1,19,420**	**1,44,382[P]**	**1,63,461[Q]**	**1,85,060[A]**

(स्त्रोतःवित्त लेखे) (ए=अग्रिम, क्यू=तत्काल एवं पी= अस्थायी रूप से)

- राज्य के समग्र राजकोषीय दायित्व में 56 प्रतिशत (₹ 8,965 करोड़) की वृद्धि हुई, जो 2009-10 में ₹ 15,937 करोड़ से बढ़कर 2013-14 में ₹ 24,902 करोड़ हो गई।
- दायित्वों की वृद्धि दर 2012-13 के 13 प्रतिशत के विरूद्ध 2013-14 के दौरान 29 प्रतिशत हो गया।
- 2013-14 के अंत में राजकोषीय दायित्व, वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 78 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करता है जबकि वर्ष 2012-13 में यह 65 प्रतिशत था।
- 2013-14 के दौरान बकाया ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात 13.46 प्रतिशत था जो एफआरबीएम प्रकटीकरण में दिये गये अनुमान (14.16 प्रतिशत) के अंदर था।

[17] जीएसडीपी आंकड़ें में बदलाव एवं वित्त लेखे में किये समायोजन के कारण 2011-12 के आंकड़ें बदल गये।

1.9.3 आरक्षित निधि के अंतर्गत लेनदेन

राज्य शासन के लेखे (लोक लेखे) में विशिष्ट एवं स्पष्ट रूप से परिभाषित उद्धेश्यों के प्रतिपूर्ति हेतु आरक्षित एवं आरक्षित निधियों का गठन किया गया है।

वित्त लेखे के विवरण क्रमांक 19 के अनुसार, राज्य शासन के लेखे में 16 आरक्षित निधियों का गठन एवं संधारण किया जा रहा है। 31 मार्च 2014 की स्थिति में, इन आरक्षित निधियों का अंतिम शेष ₹ 2,827.44 करोड़ था। इनमें से दो नवीन आरक्षित निधियों अधोसंरचना विकास उपकर निधि तथा पर्यावरण उपकर निधि का गठन इसी वर्ष किया गया है।

एक आरक्षित निधि ग्रामीण विकास निधि, जिसका गठन 2001-02 में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने हेतु किया गया था, का 31 मार्च 2014 की स्थिति में शेष ₹ 115.70 करोड़[18] था। इसके गठन के पश्चात् से अब तक इस निधि में कोई लेन-देन नहीं किया जा रहा है।

राज्य आपदा उन्मोचन निधि तथा समेकित निक्षेप निधि के लेन-देनों का विश्लेषण निम्नानुसार है :

राज्य आपदा राहत निधि

तेरहवें वित्त आयोग के अनुशंसा के आधार पर राज्य शासन ने वर्ष 2010-11 में एक राज्य आपदा उन्मोचन निधि का गठन किया। 2013-14 के दौरान राज्य आपदा उन्मोचन निधि में प्रारम्भिक शेष ₹ 464.89 करोड़ था इस वर्ष के दौरान निधि से प्राप्तियां एवं संवितरण क्रमशः ₹ 171.44 करोड़ एवं ₹ 135.95 करोड़ था जिससे शेष ₹ 500.38 करोड़ शेष था।

निक्षेप निधिः-

शासन ने 2006-07 के दौरान खुले बाजार ऋण के लिए एक निक्षेप निधि का गठन किया। इस निधि का उपयोग, परिशोधन के रूप में बकाया आन्तरिक ऋण एवं लोक लेखे की देनदारियों के विमोचन के लिए वर्ष 2011-12 से किया जाना था। यद्यपि 2013-14 तक शासन द्वारा राशि का उपयोग नहीं किया गया है। 2013-14 में निक्षेप निधि (निवेश लेखा) में शेष ₹ 1,246.94 करोड़ था। 2013-14 के दौरान शासन ने ₹ 96.34 करोड़ के न्यूनतम अंशदान के विपरीत ₹ 100 करोड़ का अंशदान दिया अर्थात् 2012-13 के अंत तक बकाया दायित्वों (₹ 19,268 करोड़) का 0.5 प्रतिशत।

[18] ग्रामीण विकास निधि की वर्षवार प्राप्तियां 2001-02 = ₹ 2.25 करोड़, 2002-03= ₹ 2.50 करोड़, 2003-04= ₹ 0.41 करोड़, 2004-05= ₹ 4.11 करोड़, 2005-06= ₹ 5.09 करोड़, 2006-07= ₹ 6.91 करोड़, 2007-08= ₹ 27.59 करोड़, 2008-09= ₹ 11.60 करोड़ 2009-10= ₹ (-) 7.54 करोड़, 2010-11= ₹ 12.00 करोड़, 2011-12= ₹ 15.00 करोड़, 2012-13= ₹ 17.78 करोड़, 2013-14= ₹ 18.00 करोड़।

1.9.4 प्रत्याभूति की स्थिति-आकस्मिक दायित्व

प्रत्याभूति राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक उतरदायित्व जब उधारकर्ता जिसके विरूद्ध प्रत्याभूति दी गई है के द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है। राज्य विधान मंडल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 293 के अन्तर्गत मार्च 2014 तक ऐसी कोई विधि पारित नहीं की गई थी जिससे शासन राज्य के समेकित निधि के प्रतिभूति पर प्रत्याभूति दे सके। यद्यपि राज्य के एफआरबीएम में यह प्रावधान शामिल किया गया है कि राज्य शासन कम से कम शर्तों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.5 प्रतिशत या जोखिम भारित के आधार पर 0.5 प्रतिशत जो भी कम हो से ज्यादा एक वर्ष में प्रत्याभूति नहीं देगा।

अधिकतम राशि जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति दिया गया था एवं पिछले तीन वर्षो से लंबित प्रत्याभूति **तालिका 1.28** में दिया गया है।

तालिका 1.28 छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दी गई प्रत्याभूति

(₹ करोड़ में)

गारंटी	2011-12	2012-13	2013-14
प्रत्याभूति की अधिकतम राशि	7,079.29	6,605.49	7,571.99
प्रत्याभूति की बकाया राशि	2,637.40	2,694.90	3,358.27
राजस्व प्राप्तियां	25,867.00	29,578.09	32,050.26
कुल राजस्व प्राप्तियों से अधिकतम प्रत्याभूति राशि का प्रतिशतता	27.37	22.33	23.63

(स्त्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखें)

वित्त लेखे में दर्ज विवरण संख्या 9 के अनुसार, ₹ 3,358.27 करोड़ की प्रत्याभूति मार्च 2014 के अंत तक बकाया थी। इनमें से सहकारिता (₹ 1,500.77 करोड़), उर्जा (₹ 1,667.03 करोड़), आवास एवं शहरी विकास (₹ 93.69 करोड़), राज्य वित्तीय निगम (₹ 93.02 करोड़) एवं अन्य (₹ 3.76 करोड़) को प्रत्याभूति दी गई जो 31 मार्च 2014 तक बकाया था। आकस्मिक दायित्वों के रूप में प्रत्याभूतियों की लंबित राशि राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 10 प्रतिशत था। नये प्रत्याभूतियां एफआरबीएम अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमा में थी।

राज्य सरकार को प्रत्याभूति की आकस्मिक विमुक्ति के दायित्व के निर्वाह के लिए बारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसा की गई कि राज्यों को पूर्व निर्धारित प्रत्याभूति शुल्क से एक प्रत्याभूति विमोचन निधि की स्थापना करनी चाहिए। तथापि, राज्य शासन के द्वारा उनके प्रत्याभूतियों का मूल्यांकन कम जोखिम का मानते हुए प्रत्याभूति विमोचन निधि की स्थापना नहीं करने का निर्णय लिया। वर्ष के दौरान किसी प्रत्याभूति को रद्द नहीं किया गया था।

1.9.5 सरकार द्वारा लिये गए उधार का विश्लेषण

वर्ष 2013-14 के दौरान लोक ऋण की स्थिति **तालिका 1.29** में प्रस्तुत है-

तालिका 1.29 वर्ष 2013-14 के दौरान लोक ऋण का विवरण

(₹ करोड़ में)

उधारों की प्रकृति	1 अप्रैल 2013 को प्रारंभिक शेष	प्राप्तियां	पुनर्भुगतान	31 मार्च 2014 को अंतिम शेष	निबल वृध्दि (+) कमी (-)
बाजार कर्ज	3,236.05	3,000.00	156.01	6,080.04	2,843.99
प्रतिकर तथा अन्य बंध पत्र	193.37	--	48.32	145.05	(-) 48.32
वित्तीय संस्थाओं से कर्ज	759.64	674.62[19]	94.97	1,339.29	579.65
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	5,377.57	242.68	241.26	5,378.99	1.42
केंद्र सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	2,137.37	14.59	149.09	2,002.87	(-)134.50
योग	11,704.00	3,931.89	689.65	14,946.24	3,242.24

(स्त्रोत : वित्त लेखे 2013-14)

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 3,931.89 करोड़ का उधार लिया गया तथा ₹ 689.65 करोड़ इसके पुनर्भुगतान के रूप में विमुक्त किया गया। वर्ष 2013-14 के दौरान बाजार से उधारियां एवं अन्य उधारियों का विश्लेषण निम्नानुसार है-

वित्तीय संस्थाओं से ऋण

सरकार द्वारा वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 674.62 करोड़ का उधार वित्तीय संस्थानों, जैसे राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (₹ 674.39 करोड़) एवं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (₹ 0.23 करोड़) से लिया गया तथा ₹ 94.97 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया। वर्ष 2013-14 के दौरान वित्तीय संस्थाओं से लिए गये ऋण के बकाया शेष में ₹ 579.65 करोड़ (76.30 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जो वर्ष 2012-13 में ₹ 759.64 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 1,339.29 करोड़ हो गया।

राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों से प्राप्त ऋण

सरकार द्वारा लघु बचत संग्रहणों से कर्ज विमुक्त करने के उद्धेश्य से वर्ष 1999-2000 राष्ट्रीय अल्प बचत निधि गठित किया गया। वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य सरकार को ₹ 242.68 करोड़ का ऋण प्राप्त हुआ तथा ₹ 241.26 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया। राष्ट्रीय अल्पबचत निधि के कर्जों के बकाया शेष में ₹ 1.42 करोड़ (0.03 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जो वर्ष 2012-13 में ₹ 5,377.57 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 5,378.99 करोड़ हो गया। वर्ष 2013-14 के दौरान शासन ने ₹ 481.98 करोड़ का ब्याज भुगतान किया ।

बाजार ऋण

वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान बाजार ऋण की वर्षवार स्थिति **तालिका 1.30** में दिया गया है।

[19] इसमें राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (₹ 674.39 करोड़) तथा राष्ट्रीय सहकारिता बैंक (₹ 0.23 करोड़) से प्राप्त ऋण सम्मिलित है।

तालिका 1.30 वर्ष 2009-14 की अवधि में बाजार ऋण की समग्र स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बाजार ऋण का प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान लिए गए बाजार ऋण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान किए गए बाजार ऋण	अंतिम शेष	निबल वृध्दि (+) कमी (-)	विगत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृध्दि
2009-10	2,297.90	700.02	250.18	2,747.74	449.84	19.58
2010-11	2,747.74	0.00	235.02	2,512.72	(-)235.02	(-)08.55
2011-12	2,512.72	0.00	313.14	2,199.58	(-)313.14	(-)12.46
2012-13	2,199.58	1,500.00	463.53	3,236.05	1,036.47	47.12
2013-14	3,236.05	3,000.00	156.01	6,080.04	2,843.99	87.88

(स्त्रोत : वित्त लेखे)

तालिका 1.30 से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 में क्रमशः ₹ 1,500 करोड़ तथा ₹ 3,000 करोड़ के बाजार ऋण लिये जाने के कारण इन वर्षों के अंत तक बाजार ऋण का बकाया शेष क्रमशः ₹ 3,236.05 करोड़ तथा ₹ 6,080.04 करोड़ के उच्च स्तर पर था।

1.10 ऋण प्रबंधन

1.10.1 ऋण प्रारूप

राज्य शासन के ऋण की मात्रा के अतिरिक्त, राज्य के ऋण धारणीयता[20] को निर्धारित करने वाले विभिन्न सूचकों का विश्लेषण करना भी महत्वपूर्ण है। यह खण्ड राज्य शासन के ऋण स्थिरीकरण[21]; गैर ऋण प्राप्तियों[22] की पर्याप्तता; उधार ली गई निधियों[23] की निबल उपलब्धता; ब्याज भुगतान का भार (ब्याज भुगतान के राजस्व प्राप्तियों से अनुपात के रूप में मापा गया) तथा राज्य शासन के प्रतिभूतियों के परिपक्वता की रूपरेखा के संदर्भ में ऋण धारणीयता का मूल्यांकन करता है।

20 ऋण धारणीयता एक समयावधि में ऋण-जीएसडीपी के अनुपात को स्थिर बनाये रखने की राज्य की योग्यता के रूप में परिभाषित है और इनके ऋणों को चुकाने की क्षमता के बारे में चिंता को भी सम्मिलित करता है। अतः ऋण के धारणीयता का चालू अथवा वचनबद्ध दायित्वों को चुकाने के लिए तरल परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता और अतिरिक्त उधारों की लागत का इन उधारों के प्रतिलाभ के साथ संतुलन बनाये रखने की क्षमता से भी संबंध है। इसका तात्पर्य है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि ऋण चुकाने की क्षमता में वृद्धि के समरूप होना चाहिये।

21 स्थायित्व की आवश्यक शर्त है कि यदि आर्थिक वृद्धि दर ब्याज दर अथवा लोक उधारों की लागत से अधिक है, तो ऋण-जीएसडीपी अनुपात स्थिर रहेगा बशर्ते प्रारम्भिक अवशेष या तो शून्य अथवा धनात्मक अथवा मामूली ऋणात्मक हो। दिये गये दर विस्तार (जीएसडीपी वृद्धि पर-ब्याज पर) एवं प्रमात्रा विस्तार (ऋण दर विस्तार), ऋण धारणीयता की स्थिति यह बताती है कि यदि प्राथमिक घाटे के साथ-साथ प्रमात्रा विस्तार शून्य हो तो, ऋण-जीएसडीपी अनुपात स्थायी होगा अथवा ऋण अन्ततः स्थिर रहेगा। दूसरे रूप में, यदि प्रमात्रा विस्तार के साथ-साथ प्राथमिक घाटा ऋणात्मक होता है, ऋण-जीएसडीपी का अनुपात बढ़ेगा और यदि धनात्मक है तो ऋण-जीएसडीपी अनुपात मे तदनुसार कमी/गिरावट आयेगी।

22 राज्य के वृद्धिजन्य ब्याज दायित्वों एवं वृद्धिजन्य प्रारम्भिक व्यय की प्राप्ति के लिए वृद्धिजन्य गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता है। ऋण धारणीयता पर्याप्त रूप में सुसाध्य हो सकती है यदि वृद्धिजन्य गैर ऋण प्राप्तियों से वृद्धिजन्य ब्याज भार तथा वृद्धिजन्य प्राथमिक व्यय की पूर्ति हो सके।

23 उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता को, कुल ऋण प्राप्तियों से ऋण विमोचन मूलधन, ब्याज भुगतान के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है तथा सूचित करता है कि किस सीमा तक ऋण प्राप्तियों ऋण विमोचन के लिए उपयोग में लाई गई। यही उधार ली गई निधियों की निबल उपलब्धता दर्शाती है।

1.10.2 ऋण धारणीयता

एक समयावधि में ऋण जीएसडीपी अनुपात को स्थिर बनाए रखने की राज्य की योग्यता को ऋण धारणीयता कही जाती है। अतएव, यह राज्य के ऋण चुकाने की क्षमता को इंगित करता है।

तालिका 1.31 वर्ष 2011-12 से प्रारंभ कर के तीन वर्ष की अवधि के लिए इन सूचकों के अनुसार राज्य की ऋण धारणीयता का विश्लेषण करता है।

तालिका 1.31 ऋण धारणीयता सूचकांक एवं प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

ऋण धारणीयता के सूचकांक	2011-12	2012-13	2013-14
ऋण स्थिरीकरण (प्रमात्रा विस्तार + प्रारंभिक घाटा)	1,752	41	(-) 2,340
गैर ऋण प्राप्तियों के अभिवृध्दि की पर्याप्तता (संसाधनों की रिक्तता)	(-) 1,211	(-) 1,854	(-) 2,405
उधार निधियों की निबल उपलब्धता	(-) 672	(+) 1012	(+) 4,283
ब्याज भुगतान का भार (ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्तियां अनुपात)	4.61	3.90	4.22
राजकोषीय देयताएं/सकल राज्य घरेलु उत्पाद -(प्रतिशत में)	12.26	12.03	13.46

(स्त्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

तालिका 1.31 में प्रदर्शित प्रवृति से यह स्पष्ट है कि 2011-13 की अवधि के दौरान प्राथमिक घाटे सहित प्रमात्रा विस्तार निरन्तर सकारात्मक रहा था परन्तु यह 2013-14 के दौरान नकारात्मक हो गया। राजकोषीय दायित्वों का जीएसडीपी से अनुपात वर्ष 2012-13 में 12.03 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2013-14 में 13.46 प्रतिशत हो गया।

वर्ष 2011-12 से 2013-14 की अवधि के दौरान गैर-ऋण प्राप्तियों में अभिवृध्दि की पर्याप्तता (संसाधनों का अंतर) नकारात्मक थी, जो यह दर्शाता है कि गैर-ऋण प्राप्तियों की वृद्धि बढ़ते हुये प्रारंभिक व्यय एवं बढ़ते हुये व्यय भार को पोषित करने के लिए अपर्याप्त थी।

मूलधन एवं ब्याज के भुगतान के पश्चात् उधार ली गई निधियों की उपलब्धता वर्ष 2011-12 में (-) ₹ 672 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 4,283 करोड़ हो गई। वर्ष 2013-14 की अवधि में शासन ने ₹ 4,678 करोड़ (राशि ₹ 540 करोड़ के आंतरिक ऋण का मूलधन एवं ब्याज, भारत सरकार से ₹ 149 करोड़ का ऋण तथा अन्य देनदारियों ₹ 3,989 का भी निपटान) का पुनर्भुगतान किया जो कुल प्राप्तियों ₹ 10,310 करोड़ (आंतरिक ऋण ₹ 3,917 करोड़, भारत सरकार से ₹ 15 करोड़ का ऋण तथा अन्य देनदारियों ₹ 6,378 करोड़) से कम था, परिणामतः उत्पादक/पूंजीगत व्यय हेतु ₹ 4,283 करोड़ (कुल उधारों का 42 प्रतिशत) के निधि की शुध्द उपलब्धता थी।

राज्य द्वारा भविष्य में पुनर्भुगतान हेतु योग्य, राज्य ऋण के परिपक्वता का परिपेक्ष्य **तालिका 1.32** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.32 राज्य के ऋण की परिपक्वता

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	कुल ऋण का प्रतिशत
0-5	4,224.98	4,182.47	4,252.03	3,914.35	4,207.57	28
6-10	3,333.13	3,351.11	3,115.08	3,204.48	7,937.95	53
11-15	1,987.75	2,039.44	1,958.45	3,312.46	1,674.14	11
16-20	1,150.28	1,164.79	1,012.50	802.49	658.63	04
20 और उससे ऊपर	316.25	378.91	347.50	470.22	467.95[24]	03
योग	**11,012.39**	**11,116.72**	**10,685.56**	**11,704.00**	**14,946.24**	

(स्त्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

परिपक्वता की रूपरेखा के संदर्भ में, अगले पाँच वर्षों में शासन के ऋण परिपक्वता में 28 प्रतिशत की विमोचन होगी। अतः भविष्य के ऋण भुगतानों की अधिक जागरूकता के साथ शासन इस स्थिति में होगी कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नये ऋण का भुगतान उन वर्षों में नहीं करना पड़े जिन वर्षों में अधिकतम पुनर्भुगतान बकाया है।

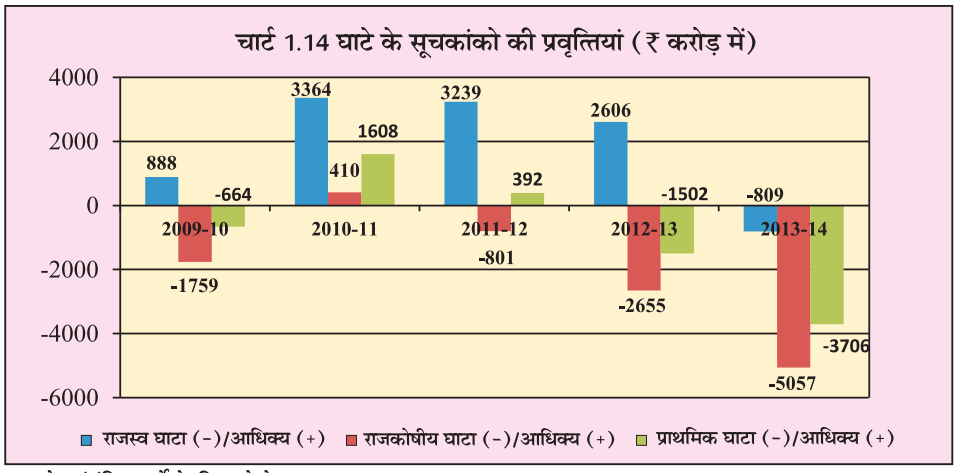
1.11 राजकोषीय अस्थिरता

तीन मुख्य राजकोषीय पैमाने राजस्व, राजकोषीय तथा प्राथमिक घाटे राज्य शासन के वित्त में एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान समग्र राजकोषीय असंतुलन की सीमा को दर्शाते हैं। शासन के लेखों में घाटा इसकी प्राप्तियों एवं व्यय के बीच के अंतर को दर्शाता है। घाटे की प्रकृति राज्य के राजकोषीय प्रबंधन की दूरदर्शिता का द्योतक है। आगे, घाटे के वित्त पोषण हेतु संसाधन की व्यवस्था एवं उपयोग के तरीके राजकोषीय स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण सूचक है। यह खण्ड घाटे के पोषण की प्रवृति, प्रकृति, आकार तथा तरीके एवं एफआरबीएम अधिनियम/नियम के अधीन वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए निर्धारित किये गये लक्ष्य के विरूद्ध वास्तविक राजस्व एवं राजकोषीय घाटे के स्तर के आंकलन को प्रस्तुत करता है।

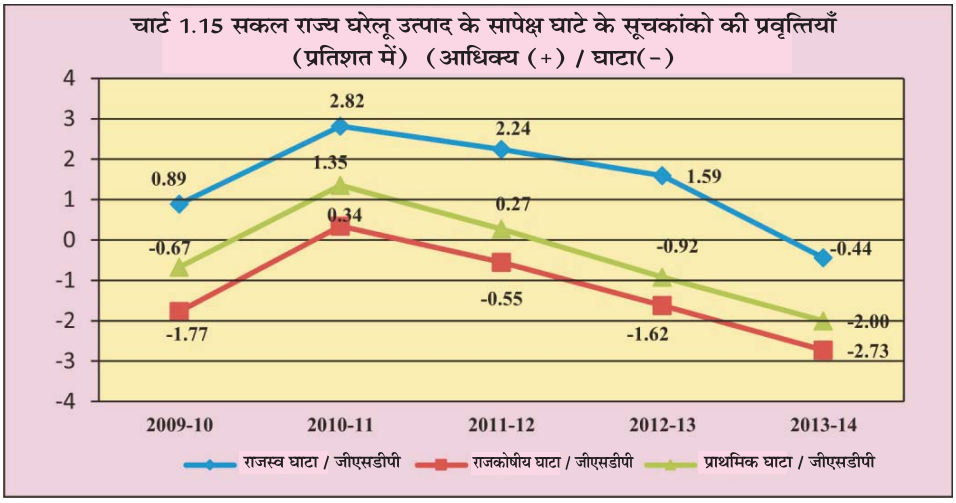
1.11.1 घाटे की प्रवृत्तियाँ

चार्ट 1.14,1.15 एवं तालिका 1.33 वर्ष 2009-14 की अवधि के लिए घाटे के सूचकांकों की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करता है।

[24] इसमें ₹ 310.23 करोड़ के वे ऋण सम्मिलित है जिनकी परिपक्वता वर्ष का विवरण उपलब्ध नहीं था तथा उन्हें मध्य प्रदेश को आबंटित परन्तु छत्तीसगढ़ द्वारा पुर्नभुगतान किया गया ।



(स्त्रोत संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)



(स्त्रोत संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

तालिका 1.33 घाटे की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)	(+)888	(+)3,364	(+)3,239	(+)2,606	(-) 809
राजकोषीय घाटा (-)/आधिक्य (+)	(-)1,759	(+)410	(-)801	(-)2,655	(-) 5,057
प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य (+)	(-)664	(+)1,608	(+)392	(-)1,502	(-) 3,706

चालू वर्ष (2013-14) में राज्य का राजस्व घाटा ₹ 809 करोड़ रहा, जबकि 2009-13 की अवधि में अंतर विचलन के साथ राजस्व आधिक्य रहा। राजस्व आधिक्य का पतन वर्ष 2011-12 में 4 प्रतिशत (₹ 125 करोड़) के कमी के साथ शुरू हुआ जो आगे वर्ष 2012-13 में 20 प्रतिशत (₹ 633 करोड़) घटकर ₹ 2,606 करोड़ हो गया। 131 प्रतिशत (₹ 3,415 करोड़), की तीक्ष्ण गिरावट के साथ विगत वर्ष का राजस्व आधिक्य, वर्ष 2013-14 की अवधि में ₹ 809 करोड़ का राजस्व घाटा में परिवर्तित हो गया। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व आधिक्य/घाटा वर्ष 2012-13 के 1.59 के तुलना में वर्ष 2013-14 में (-)0.44 घट गया।

राजकोषीय घाटा, जो शासन के कुल उधारियों तथा इसके कुल संसाधन के मध्य अंतर को दर्शाता है, वर्ष 2009-10 में ₹ 1,759 करोड़ था परन्तु वर्ष 2010-11 के दौरान यह ₹ 410 करोड़ के राजकोषीय आधिक्य में बदल गया। उसके बाद यह पुनः वर्ष 2011-12 में ₹ 801 करोड़ के राजस्व घाटे में बदल गया जो वर्ष 2012-13 में बढ़कर ₹ 2,655 करोड़ हो गया तथा पुनः वर्ष 2013-14 में बढ़कर ₹ 5,057 करोड़ हो गया। राजकोषीय घाटे एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात 2.73 प्रतिशत था जो कि तेरहवें वित्त आयोग तथा एफआरबीएम अधिनियम में उल्लेखित तीन प्रतिशत के सीमा के अंदर था।

राजकोषीय घाटा में 90 प्रतिशत तथा ब्याज अदायगियों में 17 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्राथमिक घाटा वर्ष 2012-13 में ₹ 1,502 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 3,706 करोड़ हो गया।

1.11.2 राजकोषीय घाटे का घटक तथा इसके वित्त पोषण की संरचना

राजकोषीय घाटा राज्य द्वारा लिये जाने वाले कुल उधारियों की आवश्यकता है तथा यह राजस्व एवं गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों से राजस्व व्यय एवं ऋण एवं अग्रिम सहित पूंजीगत व्यय की अधिकता है। राजकोषीय घाटे का विभाजन यह प्रकट करता है कि राज्य द्वारा अपने राजस्व एवं गैर ऋण प्राप्तियों के अतिरिक्त निधियों की अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किस सीमा तक विभिन्न उधारियों का सहारा लिया गया। राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण प्रणाली **तालिका -1.34** में प्रदर्शित की गई है।

तालिका 1.34 राजकोषीय घाटा के घटक एवं वित्तीय संरचना

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6
राजकोषीय घाटे का विभाजन					
राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)	888.22	3,363.79	3,239.33	2,606.25	(-) 809.31
निबल पूंजीगत व्यय	(-)2,742.61	(-)2,948.95	(-)4,052.47	(-)4,916.94	(-)4,566.55
निबल ऋण एवं अग्रिम[25]	95.39	(-) 5.08	11.97	(-)344.45	318.58
योग	**(-)1,759.00**	**409.76**	**(-)801.17**	**(-)2,655.14**	**(-)5,057.28**
राजकोषीय घाटे का वित्तीय संरचना*					
बाजार से उधार	449.85	(-)235.03	(-)313.14	1,036.47	2,843.99
भारत सरकार से उधार	106.83	67.38	(-)85.15	(-)152.37	(-)134.50
एन.एस.एस.एफ. को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ	146.33	373.47	13.00	15	1.42
वित्तीय संस्थाओं से ऋण	(-)67.36	(-)101.49	(-)45.86	119.34	531.33
अल्प बचत, भविष्य निधि इत्यादि	294.37	328.97	307.76	293.47	265.40
जमा एवं अग्रिम	(-)22.47	355.26	585.94	521.18	1,818.98
उचन्त एवं विविध	512.00	(-)2,129.58	1,758.77	(-)1,107.52	(-)1,243.93
प्रेषण	(-)111.83	33.68	96.10	(-)264.11	(-) 98.03
अन्य[26]	244.91	(-) 28.08	58.90	332.15	305.16
योग	**1,552.63**	**(-)1,335.42**	**2,376.32**	**793.61**	**4,289.82**
समग्र आधिक्य (+)/घाटा (-)	**(-)206.37**	**(-)925.66**	**1,575.15**	**(-)1,861.53**	**(-)767.46**
योग	**1,759.00**	**(-)409.76**	**801.17**	**2,655.14**	**5,057.28**
***ये सभी आँकडें वर्ष के दौरान निबल संवितरण/बाह्य प्रवाही है।**					

(स्त्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

[25] इसमें अंतर्राज्यीय समाशोधन सम्मिलित है।

[26] इसमें आकस्मिकता निधि एवं आरक्षित निधि सम्मिलित है।

यह स्पष्ट है कि वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य शासन द्वारा बाजार ऋण से राजकोषीय घाटे को अधिक से अधिक वित्त पोषित किया गया। विगत वर्ष के 39 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2013-14 में राजकोषीय घाटा वित्त पोषण में इसका हिस्सा 56 प्रतिशत था।

1.11.3 घाटा/आधिक्य की गुणवता

राजस्व घाटे का राजकोषीय घाटे से अनुपात तथा प्राथमिक घाटे का प्राथमिक राजस्व घाटे[27] एवं पूंजीगत व्यय (ऋण एवं अग्रिमों सहित) में अपघटन, राज्य के वित्त पोषण में घाटा गुणवत्ता की कमी को प्रदर्शित करता है। राजस्व घाटे का राजकोषीय घाटे से अनुपात उधार ली गई निधियों का वर्तमान में किस सीमा तक उपभोग किया गया है, को दर्शाता है।

प्राथमिक घाटे का विभाजन **(तालिका -1.35)** यह दर्शाता है कि किस सीमा तक घाटे के कारण पूंजीगत व्यय में वृद्धि रहा है, जो कि राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में सुधार लाने के लिए वांछनीय है।

तालिका 1.35 प्राथमिक घाटा/आधिक्य- कारकों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर-ऋण प्राप्तियां	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा (-)/ आधिक्य (+)	प्राथमिक घाटा (-) / आधिक्य (+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2009-10	19,151	16,170	2,745	900	19,815	(+) 2,981	(-) 664
2010-11	23,286	18,157	2,952	569	21,678	(+) 5,129	(+) 1,608
2011-12	27,156	21,435	4,056	1,273	26,764	(+) 5,721	(+) 392
2012-13	31,124	25,819	4,919	1,888	32,626	(+) 5,305	(+) 1,502
2013-14	33,699	31,508	4,574	1,318	37,408	(+) 2,191	(+) 3,709

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

- वर्ष 2009-14 की अवधि के दौरान, गैर-ऋण प्राप्तियों में ₹ 14,548 करोड़ (76 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जो कि वर्ष 2009-10 में ₹ 19,151 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 33,699 करोड़ हो गया जबकि इसी अवधि में प्राथमिक राजस्व व्यय ₹ 16,170 करोड़ से बढ़कर ₹ 31,508 करोड़ हो गया (95 प्रतिशत)।

- वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान राज्य के पास प्राथमिक आधिक्य था। जबकि 2012-13 के दौरान यह राशि ₹ 1,502 करोड़ के प्राथमिक घाटे में परिवर्तित हो गया जो कि 2013-14 में बढ़कर ₹ 3,709 करोड़ हो गया। दूसरे शब्दों में, वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान राजस्व लेखा में प्राथमिक व्यय की आवश्यकताओ की पूर्ति हेतु राज्य के गैर-ऋण प्राप्तियां पर्याप्त नहीं थी।

[27] प्राथमिक राजस्व घाटा को राज्य के गैर ब्याज राजस्व व्यय तथा गैर ऋण प्राप्तियों के मध्य अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है। यह राज्य के राजस्व खाते के अंतर्गत प्राथमिक व्यय के प्रतिपूर्ति हेतु गैर ऋण प्राप्तियों की सीमा को इंगित करता है।

1.12 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

- वर्ष 2013-14 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि, तेरहवें वित्त आयोग के 12.50 प्रतिशत के मानक के विरूद्ध 13.21 प्रतिशत थी।

 शासन को तेरहवें वित्त आयोग के मानकों की प्राप्ति सुनिश्चित करना चाहिए।

- राज्य के राजकोषीय स्थिति के प्रमुख मानदण्डों में गिरावट आई है। तेरहवें वित्त आयोग तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार राज्य को वर्ष के दौरान शून्य राजस्व घाटा बनाए रखना था। तथापि विगत वर्ष का राजस्व आधिक्य वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 809 करोड़ के राजस्व घाटा में परिवर्तित हो गया।

- वर्ष 2013-14 के दौरान राजकोषीय घाटा बढ़कर ₹ 5,057 करोड़ हो गया। यद्यपि सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2.73 प्रतिशत) के सापेक्ष राजकोषीय घाटा को राज्य तेरहवें वित्त आयोग (तीन प्रतिशत) तथा एफआरबीएम अधिनियम (तीन प्रतिशत) द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अंदर बनाए रखने में सक्षम रहा।

 शासन को तेरहवें वित्त आयोग तथा एफआरबीएम अधिनियम द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अंदर राजस्व घाटा को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए।

राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को निधि का अंतरण

- वर्ष 2013-14 के दौरान भारत सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को ₹ 4,046.30 करोड़ का सीधे अंतरण किया गया। राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को भारत सरकार की निधि का राज्य बजट के बाहर सीधे अंतरण किये जाने के कारण वार्षिक लेखे में राज्य के संसाधनों का पूर्णरूपेण चित्रण नहीं हो पाता है।

 भारत सरकार द्वारा राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरित किए गए निधि के यथोचित लेखांकन एवं निधि के उपयोग की निगरानी को सुनिश्चित करने हेतु एक प्रणाली विकसित की जानी चाहिए।

संसाधन की गतिशीलता

- चालू वर्ष के दौरान राज्य का स्वयं का कर राजस्व (₹ 14,343 करोड़) बजट अनुमान (₹ 15,300 करोड़) से कम था। करेत्तर राजस्व भी बजट अनुमान से ₹ 971 करोड़ कम था।

 शासन को बजट दस्तावेज में प्राप्तियों के स्वयं के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।

व्यय प्रबंधन तथा राजकोषीय प्राथमिकताएँ

- वर्ष 2013-14 के दौरान राजस्व व्यय निरंतर रूप से (85 *प्रतिशत*) कुल व्यय का प्रभावकारी घटक रहा। वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय कुल व्यय का 12 प्रतिशत रहा तथा विगत वर्ष की तुलना में सात प्रतिशत (₹ 345 करोड़) कम हो गया।

 राज्य कुल व्यय के अनुपात में पूंजीगत व्यय को बढ़ाने पर विचार करे जिससे वृद्धि को उत्प्रेरित करने के लिए परिसंपत्तियाँ निर्मित की जा सके।

- मार्च 2014 के अंत तक राज्य सरकार ने ₹ 1,866.44 करोड़ का निवेश किया तथा ₹ 1,545.99 करोड़ बकाया ऋण तथा अग्रिमों की वसूली शेष थी। वर्ष 2013-14 के दौरान सरकारी निवेश तथा बकाया ऋणों पर औसत प्रतिफल क्रमशः 0.76 प्रतिशत तथा 17.75 प्रतिशत मात्र था जबकि सरकार ने अपनी उधारियों पर 6.12 प्रतिशत की औसत ब्याज दर से भुगतान किया।

 शासन को मूलधन एवं उस पर लगने वाले ब्याज का पुर्नभुगतान न करने वाले संस्थानों/संगठनों से बकाया ऋण की वसूली के लिए उचित कदम उठाना चाहिए।

अपूर्ण परियोजनाएँ

- 31 मार्च 2014 तक लोक निर्माण तथा जल संसाधन विभाग के 166 अपूर्ण परियोजनाओं पर ₹ 4,198 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

 शासन को अपूर्ण परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करने के लिए पहल करना चाहिए जिससे कि समय एवं लागत के बढ़ने से बचा जा सके।

दायित्वों का प्रबंधन

- चालू वर्ष के अंत में राजकोषीय दायित्व ₹ 24,902 करोड़ था जो पिछले वर्ष के ₹ 19,268 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 11.79 प्रतिशत) की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 13.46 प्रतिशत था।

 शासन को भविष्य में राजकोषीय दायित्वों का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात एक निर्धारित स्तर पर बनाए रखना चाहिए।